http://www.saaid.net/kutob/

क़ब्रों के पास जाकर अल्लाह तआला से दुआ करना निंदनीय बिदअत है

एवं इसी के साथ संलग्न है:

प्रार्थना को स्वीकार योग्य बनाने वाले शरई माध्यम

लेखक:

शैख़ माजिद बिन सुलेमान अल-रस्सी

शव्वाल 1433 हिजरी

अनुवादक:

साबिर हुसैन मोहम्मद मोजीबुर रहमान

ترجمة باللغة الهندية لكتاب:

التبصرة

في بيان أن تحري إجابة دعاء الله تعالى عند القبوربدعة منكرة

لفضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي/ حفظه الله

ويليه:

الأسباب الشرعية لإجابة الدعاء

बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रह़ीम

प्रस्तावना

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

(हरेक प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो अकेला है, तथा दरूद व सलाम अवतरित हो उस (नबी) पर जिसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, इस (प्रशंसा) के बादः)

अल्लाह तआला ने इंसानों और जिन्नों (मानवों एवं दानवों) को इसलिए पैदा किया है ताकि वो केवल एक अल्लाह की ही इबादत और वंदना करें तथा उसके साथ किसी को उसका साझीदार न बनाएं, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः {ٍّ ئر ئز ئم ئن ئى} (हमने इंसानों तथा जिन्नों को केवल इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें), और इबादत नाम है हरेक उस चीज़ का जिसे अल्लाह तआला पसंद फ़रमाता है तथा उससे राज़ी व प्रसन्न होता है चाहे वह स्पष्ट अथवा छिपे हुए कर्म हों या बात (वक्तव्य)।

“अतः, नमाज़, ज़कात, रोज़ा, हज, सत्य का पालन करना (सच बोलना), अमानत (न्यास) अदा करना, माता-पिता के संग अच्छा बर्ताव करना, वादा निभाना, भली बातों का हुक्म देना तथा बुरी बातों से रोकना, कुफ्फार और मुनाफ़िक़ीन (पाखण्डियों) से जिहाद करना एवं पड़ोसी, यतीम (अनाथ), निर्धन, यात्री तथा ग़ुलाम (दास) के संग एह़सान (उपकार व भलाई) करना, पशु पक्षियों के संग उपकार करना, दुआ (प्रार्थना), ज़िक्र (अल्लाह का स्मरण) क़ुरआन का पाठ तथा इन जैसी अन्य इबादतों को अंजाम देना।

इसी प्रकार से अल्लाह तआला व उसके रसूल से प्रेम रखना, अल्लाह से डरना व उसकी ओर झुकना, दीन (धर्म) को उसी के लिए ख़ालिस व निश्छल करना, उसके आज्ञापालन पर सब्र (धैर्य) रखना, उसकी नेमत (अनुग्रह) पर शुक्र व धन्यवाद अदा करना, उसके फ़ैसले पर राज़ी व सहमत रहना, उसी पर तवक्कुल व भरोसा करना, उसकी रह़मत (कृपा) की आशा रखना, उसके यातना से भयभीत रहना, तथा इन जैसी अन्य चीज़ें भी अल्लाह की इबादत (पूजा-अर्चना) ही में से हैं”।

(अल्लाह की ख़ालिस़) इबादत के विपरीत अल्लाह तआला की इबादत में शिर्क करना है, वह इस प्रकार कि इंसान किसी को अल्लाह का साझीदार बना दे और उसकी वैसी ही उपासना करना प्रारंभ कर दे जैसी उपासना वह अल्लाह की करता है, और उससे वैसे ही भयभीत हो जैसे अल्लाह से भयभीत होता है, तथा उसके लिए -दुआ, नमाज़, ज़ब्ह (बलि), नज़्र (मनौती) इत्यादि- इबादतों को अंजाम दे कर वैसे ही उसका सामीप्य प्राप्त करने का प्रयास करे जैसे वह अल्लाह तआला का सामीप्य प्राप्त करने की कोशिश करता है।

दुआ बड़ी महान व अत्यंत महत्वपूर्ण इबादत है, अल्लाह तआला ने विशेष रूप से इसका उल्लेख अनेक आयतों (श्लोकों) में किया है, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बहुतेरे सही ह़दीस़ों में इसकी प्रधानता, महत्ता तथा महानता का बखान किया है, और शरीअत (इस्लाम) ने दुआ के स्वीकार्य होने के सबब (माध्यम, कारण तथा मानदंड) को भी स्पष्ट रूप से बताया है कि कोई मुस्लिम यदि इसका पालन करते हुए तथा इसके विपरीत चीज़ों से बचते हुए दुआ करे तो प्रबल संभावना है कि उसकी दुआ स्वीकार कर ली जाए, और इस सबब के छः प्रकार हैं:

प्रथम सबब स्वयं दुआ करने वाले से संबंधित है।

द्वितीय सबब उस इबादत (उपासना) से संबंधित है जिसको दुआ करने वाला अंजाम देता है।

तृतीय सबब दुआ करने वाले की स्थिति से संबंधित है।

चतुर्थ सबब दुआ किए जाने के समय से संबंधित है।

पंचम सबब दुआ किए जाने के स्थान से संबंधित है।

षष्ठ सबब दुआ करने के आदाब (शिष्टाचार) से संबंधित है।

शरीअत (-ए- इस्लाम) ने दुआ क़बूल होने के सबब व कारण को बड़े विस्तार से बयान कर दिया है, किंतु इसके बावजूद दुआ को मक़बूल व स्वीकार्य करवाने के लिए प्रयासरत लोग तीन प्रकार के होते हैं, **एक** वो जो वलियों और नेक लोगों की क़ब्रों (समाधियों) पर जा कर यह गुमान रखते हुए उनसे दुआ करते हैं कि यदि उन लोगों से दुआ की जाए तो उसकी दुआ अति शीघ्र स्वीकार कर ली जाएगी, और निःसंदेह ऐसा करना तीन कारणों से गलत हैः

प्रथमः अल्लाह तआला के सिवाय अन्य (ग़ैरुल्लाह) से दुआ करना शिर्क -ए- अकबर है जो मिल्लते इस्लाम से ख़ारिज व निष्कासित कर देता है, क्योंकि दुआ इबादत है, और सभी प्रकार की इबादतों को अल्लाह के सिवाय किसी अन्य के लिए अंजाम देना जायज़ नहीं है, अतः जिसने इन इबादतों एवं उपासनाओं में से कुछ भी ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम दिया तो उसने शिर्क किया।

द्वितीयः मुर्दा (मृत) अपने पुकारने वाले की दुआओं को नहीं सुनता है, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः { ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ } (और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो क़ब्रों में हैं)।

तृतीयः मुर्दा को जब स्वयं अपने आप के लिए भी फेर-बदल करने तथा स्वयं को लाभ पहुँचाने का अधिकार नहीं है तो अन्य को वह क्या लाभ पहुँचाएगा, अतः इस आधार पर मुर्दों

से दुआ करना तथा उनसे अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए प्रार्थना करना निरी मूर्खता तथा महा व्यर्थ व बातिल कार्य है।

लोगों की **दूसरी** क़िस्म जो अल्लाह तआला से दुआ करती है ये वो हैं जो, क़ुरआन व ह़दीस़ में अवतरित उन परिस्थितियों को तलाश करते हैं जिनके विषय में कहा गया है कि ये दुआ क़बूल किए जाने की अति उत्तम परिस्थितियां हैं ताकि उनकी दुआ क़बूल हो, जैसे रात्रि के अंतिम तीसरे पहर में दुआ करना, सज्दा में दुआ करना, अरफ़ा के दिन दुआ करना इत्यादि जिनके बारे में कहा गया है कि ये दुआ के स्वीकार्य होने के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं, यही वो लोग हैं जो शरीअत के सीधे रास्ते का अनुपालन करने वाले तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी व अनुसरण करने वाले हैं, अल्लाह तआला हमें उन लोगों में से बनाए (आमीन)।

लोगों की **तीसरी** क़िस्म वो है जो दुआ तो केवल एक अल्लाह से ही करते हैं तथा उसके सिवाय किसी अन्य को नहीं पुकारते, किंतु वो दुआ करने के लिए कुछ ऐसे स्थानों का चयन करते हैं जिनका चयन करने के लिए हमें शरीअत ने नहीं कहा है, बल्कि यदा-कदा ऐसे स्थानों पर दुआ करने से शरीअत हमें रोकती है, जैसे वो लोग जो क़ब्रों के पास दुआ करने को दुआ के स्वीकार योग्य होने का कारण मानते हैं, चाहे वो क़ब्रें नबियों की हों, नेक लोगों (महात्माओं) की हो या किसी और की, बहुत संभव है आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि वो क़ब्र के पास जाकर इस प्रकार से दुआ करते हैं: हे मेरे रब मुझे बच्चा दे दे, हे मेरे रब मेरे क़र्ज़ (ऋण) की अदायगी करवा दे, तथा इसी प्रकार की अन्य दुआएं।

इस विनीत पुस्तिका में मैंने दूसरी क़िस्म के लोगों के एतक़ाद व आस्था के विषय में बहस व जिरह किया है, एवं उनकी त्रुटियों तथा गलतियों को बयान किया है, तत्पश्चात मैंने उनका शरई विकल्प भी बताया है, उन स्थानों, समय तथा परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए जिनके बारे में शरीअत ने हमें बताया है कि दुआ के स्वीकार्य होने के लिए यह आदर्श परिस्थिति है, ताकि ह़क़ (सत्य) तथा उसके विपरीत (असत्य) के मध्य अंतर करने वाले पाठकों के ज्ञानचक्षु खुल जाएं, क्योंकि बंदा जब कोई ऐसा अमल और कर्म करता है जो शरीअत के विरुद्ध हो तो उसका वह अमल रद्द कर दिया जाता है और वह अल्लाह के दीन में वृद्धि करने का गुनाहगार भी बन जाता है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» "जो हमारे मामले (दीन) में बिदअत (नवाचार) ईजाद करे तो वह रद्द तथा अस्वीकृत है", और सही मुस्लिम की एक रिवायत में इस प्रकार है: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (जो ऐसा कर्म करे जिसके करने का आदेश मैंने नहीं दिया है तो वह रद्द तथा अस्वीकृत है)।

मैं अल्लाह तआला से प्रार्थनारत हूँ कि वह हमें तथा समस्त मुस्लिम गण को इख़्लास व निश्छल भाव से केवल अल्लाह की ही इबादत करने तथा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम का अनुसरण करने की तौफ़ीक़ (दैवानुग्रह) दे, तथा हमें और उन्हें गुमराही व पथभ्रष्टता से बचाए, और सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला अल्लाह ही है, तथा दरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर, एवं उनके परिवार वालों व साथियों पर, अधिकाधिक सलामती हो आप पर।

क़ब्रों के पास दुआ के अधिक स्वीकार्य होने का गुमान रखते हुए वहाँ दुआ करने को प्राथमिकता देने के बातिल (मिथ्या) होने का अध्याय।

समस्त प्रकार की प्रशंसा सारे संसार के रब व पालनहार अल्लाह के लिए है, तथा दरूद व सलाम अवतरित हो सभी नबियों व रसूलों से कुलीनतम व अति प्रतिष्ठित, हमारे सैय्यिद (सरदार) मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर, तथा आपके समस्त परिवार वालों व साथियों पर।

इस (प्रशंसा) के बादः

ग़ैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क -ए- अकबर है जो मिल्लत -ए- इस्लाम से निष्कासित व ख़ारिज कर देता है, जो कुफ्र एवं सर्वदा जहन्नम में रहने को वाजिब व अपरिहार्य कर देता है, यह ऐसा मामला है जिस पर इज्मा (सभी उलेमा की सर्वसहमती) है, और यह मामला इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस पर कोई धूल नहीं है।

जहाँ तक बात है क़ब्रों के पास यह गुमान रखते हुए दुआ करना कि यह क़बूल होने के अधिक योग्य है, तो ऐसा करना प्रत्यक्ष रूप से तो शिर्क नहीं है, किंतु शिर्क तक पहुँचने का बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि शैतान ऐसा करने वाले के समक्ष उस क़ब्र वाले को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करेगा कि अल्लाह को छोड़ कर इसी से दुआ करो, विशेष रूप से जब ऐसा करने वाला व्यक्ति परेशान व व्यथित हो, और यदि उसने ऐसा कर लिया तो वह शिर्क -ए- अकबर में पड़ गया, हम इससे अल्लाह तआला की शरण चाहते हैं।

क़ब्रों के पास दुआ के अधिक स्वीकार्य होने का गुमान रखते हुए वहाँ दुआ करने को प्राथमिकता देना पाँच कारणों से बातिल व मिथ्या हैः

प्रथमः न तो क़ुरआन में और न ही ह़दीस़ में ऐसा कुछ अवतरित हुआ है जो क़ब्रों के पास दुआ करने की फ़ज़ीलत व प्रधानता को प्रमाणित करता हो, तथा शरीअत -ए- इस्लाम में यह नियम विदित है कि हरेक वह इबादत जिसका उल्लेख क़ुरआन अथवा ह़दीस़ में न हुआ हो वह उसके करने वाले के ऊपर ही लौटा दी जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारणः «مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا» "जो हमारे मामले (दीन) में बिदअत (नवाचार) ईजाद करे तो वह रद्द तथा अस्वीकृत है", और एक रिवायत में इस प्रकार

है: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (जो ऐसा कर्म करे जिसके करने का आदेश मैंने नहीं दिया है तो वह रद्द तथा अस्वीकृत है)।

द्वितीय: यदि क़ब्रों के पास दुआ करने को प्राथमिकता देना मशरूअ होता अर्थात हमारी शरीअत ने ऐसा करने को कहा होता -चाहे वह वाजिबी (अपरिहार्य) तौर पर होता अथवा मुस्तहब (पुनीत) तौर पर- तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास ऐसा अवश्य करते, इसी प्रकार प्रथम तीन शताब्दी के सलफ़ सालेहीन (नेक पूर्वजों) से भी ऐसा करना प्रमाणित नहीं है।

फिर यह कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को अपने समय में कई बार सुखाड़ का सामना करना पड़ा, उनपर विपत्तियां आईं, कितुं इन सब के बावजूद यह कहीं से प्रमाणित नहीं है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र (समाधि) के पास आए हों तथा वहाँ आकर इस संबंध में दुआ किया हो, और न ही उन्होंने ऐसा किसी बड़े, आदरणीय व सम्मानित सहाबी की क़ब्र के पास किया, क्योंकि यदि ऐसा करना मशरूअ होता तो वो ऐसा अवश्य करते और उनका ऐसा करना हम तक ज़रूर पहुँचता, क्योंकि ऐसा होने के पश्चात उसको हम तक लोगों द्वारा पहुँचाने के बहुतेरे कारण मौजूद थे, और उनका ऐसा न करना मानो उन सभी की ओर से ऐसा करने के बिदअत होने पर मौन सहमति (इज्माअ) को दर्शाता है, अतः आप इस में गहन सोच-विचार करें क्योंकि यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण व लाभदायक है।

इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं: "जो हदीस़ की पुस्तकों को पढ़ेगा तथा सलफ़ (नेक पूर्वजों) की स्थितियों का आंकलन करेगा उसे यह यक़ीन हो जाएगा कि वो लोग क़ब्रों के पास इस्तेग़ास़ा (गुहार, फरियाद) नहीं करते थे, **और न ही वो वहाँ पर जा कर दुआ करने को प्राथमिकता देते थे**, बल्कि जो अज्ञानी अज्ञानतावश ऐसे करता तो वो उसे ऐसा करने से रोकते थे, जैसाकि हमने कुछ का उल्लेख भी किया है, और वहाँ पर जाकर दुआ करने की दो स्थिति हो सकती है कि या तो दूसरे स्थान पर जाकर दुआ करने की तुलना में वहाँ पर दुआ करना अधिक लाभकारी होगा अथवा नहीं होगा, और यदि हम मान लें (जो असंभव है) कि वहाँ पर दुआ करना अफ़ज़ल व उत्तम है तो फिर यह जायज़ नहीं होगा कि इसका इल्म सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन से छिप्त व गुप्त रह गया हो कि प्रथम तीन शताब्दियों के उलेमा इस बड़े फ़ज़्ल की महत्ता से अनभिज्ञ रह गए हों तथा इसका ज्ञान बाद में आने वाले लोगों को हुआ हो, और न ही उन सहाबा के बारे में यह मान लेना जायज़ है कि उन्होंने इस महा फज़्ल को जानने के बाद भी इसकी उपेक्षा की हो जब्कि वह हरेक प्रकार की भलाईयों के लिए सदा तत्पर रहा करते थे विशेष रूप से दुआ के लिए, क्योंकि व्यथित एवं व्याकुल व्यक्ति प्रत्येक उस कारण को अपनाता है जिसके द्वारा उसकी व्यथा दूर होने की उसे आशा होती है यद्यपि वह कारण एक प्रकार से घृणित ही क्यों न हो, अतः यह कैसे संभव है कि अपनी व्यथा में दुआ के मोहताज

होने और क़ब्रों के पास की गई दुआ के अधिक प्रभावी होने का ज्ञान होने के बावजूद वो लोग क़ब्रों के पास जा कर दुआ नहीं करते थे?!

ऐसा होना नैसर्गिक एवं शरई दोनों रूप से असंभव है।

और यदि वहाँ जाकर दुआ करना अफ़ज़ल व श्रेष्ठकर नहीं है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ जाकर दुआ करना ज़लालत व गुमराही (पथभ्रष्टता तथा पाप) है, इसी में से यह भी गिना जाएगा कि वह ऐसे स्थानों पर दुआ करने के लिए जाए जिसकी कोई फ़ज़ीलत व श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं है, जैसे नदियों के किनारे, वृक्षारोपण वाले स्थान पर, बाज़ार की दुकानों पर, रास्ते के किनारे इत्यादि जैसे असंख्य स्थान जिनका शुमार व गणना केवल अल्लाह तआला ही कर सकता है।

और क़ुरआन व ह़दीस़ में अनेक स्थानों पर इसका प्रमाण मौजूद है, जैसे अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैः {بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جمحج} (क्या उन लोगों ने ऐसे (अल्लाह के) साझीदार (बना रखे) हैं जिन्होंने ऐसे दीनी अह़काम (धार्मिक प्रावधान) तय कर रखे हैं जिनकी अनुमति अल्लाह ने नहीं दी है), और जब अल्लाह तआला ने क़ब्रों के पास जाकर दुआ करने को न तो वाजिबी (अपरिहार्य) तौर पर और न ही मुस्तह़ब (वांछनीय) रूप में मशरूअ किया (विधान बनाया) है तो जो इसे मशरूअ क़रार देगा मानो उसने दीन में ऐसी चीज़ को मशरूअ क़रार दिया जिसकी अनुमति अल्लाह तआला ने नहीं दी है।

और अल्लाह तआला का फ़रमान हैः { تر تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر نز نم} (-हे रसूल- आप कह दीजिए कि निस्संदेह मेरे रब ने उन समस्त फ़ह़श बातों -बदकारियों, अश्लीलताओं व बेहूदापन- को ह़राम व वर्जित किया है जो स्पष्ट हैं या गुप्त व छिप्त, और गुनाह की हरेक बात को, और नाह़क़ (अकारण) किसी पर अत्याचार करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को साझी बनाओ जिसकी अल्लाह ने कोई सनद -दलील, आधार- नाज़िल नहीं की और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो जिसको तुम जानते नहीं)।

इस से प्रमाणित हुआ कि क़बों के पास जाकर इबादत करना एक प्रकार से अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, क्योंकि अल्लाह तआला ने ऐसी कोई दलील नहीं अवतरित की जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विशेष रूप से क़ब्रों के पास जा कर दुआ करना मुस्तह़ब व श्रेष्ठकर है तथा इसे अन्य पर प्रधानता प्राप्त है, और जिसने इसे दीन का एक अभिन्न अंग बना दिया उसने अल्लाह तआला के विषय में ऐसी बात कही जिसका

उसे कोई ज्ञान नहीं है, और कितनी अच्छी बात कही है अल्लाह तआला ने { كل كم كى كي لم} (जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी) ताकि किस्से कहानियों एवं कपोल कल्पनाओं को दलील नहीं बनाया जा सके।" उनका कथन समाप्त हुआ।

और इब्नुल क़ैय्यिम रहिमहुल्लाह ने शरई ज़ियारत का उल्लेख करने के पश्चात लिखा है किः

"क़ब्र वालों के विषय में बीस से कुछेक अधिक सालों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यही सुन्नत रही, यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आपको वफ़ात दे दी, और आप के ख़ुलफा -ए- राशिदीन (पथ प्रदर्शित उत्तराधिकारियों) का भी यही त़रीका रहा, और समस्त सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम तथा ताबेईन रहिमहुमुल्लाह (सहाबा के अनुयायियों) का अमल भी इसी पर रहा, क्या इस पृथ्वी पर बसने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है कि वो उनसे ऐसी कोई बात प्रमाणित करके दिखा दे चाहे उसकी सनद सह़ीह़ हो अथवा ह़सन अथवा ज़ईफ़ या चाहे मुन्क़त़अ (आधारहीन ह़दीस़ का एक प्रकार) ही क्यों न हो जिससे यह साबित हो जाए कि **उनको जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो क़ब्रों के पास जाकर दुआ किया करते थे** तथा उसको छूते थे, इसको तो छीड़ ही दीजिए क्या (कोई यह प्रमाणित करने में सक्षम है कि) वो वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, या क़ब्र वालों से दुआ माँगते थे, या उनसे अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए कहा करते थे?

इस संबंध में यदि एक भी "अस़र" (प्रमाण) मिल जाए या एक भी बात स़ाबित हो जाए तो हमें अवश्य सूचित करें।"

मैं कहता हूँ किः **सलफ़ सालेहीन से जो बात प्रमाणित है वह यह है कि वो क़ब्रों का भ्रमण (ज़ियारत) तो करते थे किंतु वहाँ पर दुआ करने के लिए वो ऐसा नहीं करते थे**, अतः वहीं पर रुक जाना वाजिब है जहाँ पर वो लोग रुके थे, चुनाँचे "इब्ने औन" से रिवायत है कि एक आदमी ने नाफे से प्रश्न कियाः क्या इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) क़ब्र को सलाम करते थे?

तो उन्होंने कहाः हाँ, मैंने सौ बार या सौ बार से भी अधिक उनको ऐसा करते हुए देखा है, जब वह उसके समीप से गुज़रते तो वहाँ खड़े होते और कहतेः अस्सलामो अलन्नबी, अस्सलामो अला अबी बकर, अस्सलामो अला उमर अबी (अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलमती (शांति) हो, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर सलामती हो, मेरे पिता उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर सलामती हो)।

और इमाम मालिक ने "मुवत्ता" में अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत किया है, वह कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) को देखा कि वह नबी सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास खड़े हुए तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजा, एवं अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर भी।

बैहिक़ी ने "शुअब अल-ईमान" में उबैदुल्लाह से उन्होंने नाफे से, उन्होंने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि वह जब यात्रा से वापस आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र से आरंभ करते, अर्थात वह सर्वप्रथम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजते, उनके लिए दुआ करते और क़ब्र को नहीं छूते, तत्पश्चात अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर सलाम भेजते, फिर उसके बाद कहतेः हे मेरे पिता आप पर सलामती हो।

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इस "अस़र" में उन लोगों का स्पष्ट खण्डन है जो यह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास दुआ करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि यदि वहाँ पर दुआ करने की कोई विशिष्टता व फज़ीलत होती तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ऐसा अवश्य करते, क्योंकि वह सहाबा के बीच सुन्नत की सर्वाधिक पैरवी करने वाले थे, जब्कि उन्हें दसियों बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास देखा गया।

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इस "अस़र" में हम देख रहे हैं कि वह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ब्र की ज़ियारत करते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए दुआ करते स्वयं अपने लिए दुआ नहीं करते, क्योंकि यदि क़ब्रों के पास दुआ करने की कोई विशेषता व प्रधानता होती तो वह अपने लिए वहाँ पर दुआ करते, लेकिन उन्होंने शरीअत का अनुसरण करते हुए केवल क़ब्र वाले के लिए ही दुआ करने पर बस किया।

क़ब्रों के पास दुआ करने को प्राथमिकता देने को मिथ्या क़रार देने वाली **तीसरी दलील**: कुछेक सिद्ध सलफ़ (नेक पूर्वजों) से यह वर्णित है कि उन्होंने क़ब्रों के पास जाकर दुआ करने को प्राथमिकता देने वाले लोगों को ऐसा करने से रोका है, इन्हीं प्रमाणों में से वह है जो ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी त़ालिब रह़िमहुल्लाह से वर्णित है कि, उन्होंने ने एक व्यक्ति को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की समाधि स्थल (क़ब्र) के इर्द-गिर्द बनी दीवार के एक छिद्र से आता तथा भीतर जा कर क़ब्र के पास **दुआ** करते हुए देखा तो उसे रोका और कहाः तुम्हें एक ह़दीस़ न सुनाऊँ जो मेरे पिता (हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु) ने मेरे दादा (अली रज़ियल्लाहु अन्हु) से और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि आपने फरमायाः «فَإِنَّ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبورا؛ وسلموا عليَّ، يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ تَسْلِيمَكُمْ» "तुम मेरी समाधि को उत्सव (स्थल) न बना लेना तथा न ही अपने घरों को क़ब्रिस्तान बना लेना, और मुझ पर कहीं से भी सलाम भेजते रहना, क्योंकि तुम्हारा दरूद व सलाम मुझ तक पहुँच जाएग, तुम चाहे जहाँ कहीं भी रहो"।

तथा इस्माईल अल-क़ाज़ी की रिवायत में है: « وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم، فسيبلغني سلامكم وصلاتكم» "तुम जहाँ कहीं भी रहो मेरे ऊपर दरूद व सलाम भेजते रहो, तुम्हारा दरूद व सलाम शीघ्र ही मुझ तक पहूँच जाएगा"।

इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं : यह अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबदीन हैं जो धर्म एवं ज्ञान के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ताबईन में से हैं, यहाँ तक कि ज़ुहरी ने उनके विषय में कहा है कि: (मैंने उन जैसा व्यक्ति हाशमी परिवार में दूसरा नहीं देखा), वह अपनी सनद से इस हदीस़ को ज़िक्र कर रहे हैं, जिसके शब्द हैं : «لَا تَتَّخِذُوا بَيتِي عِيدًا؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَما كُنْتُمْ» "तुम मेरे घर को उत्सव (स्थल) न बना लेना, (और मुझ पर कहीं से भी दरूद भेजते रहना) क्योंकि तुम्हारा दरूद व सलाम मुझ तक पहुँच जाएगा तुम जहाँ कहीं भी रहो", जिसका अर्थ यह निकलता है कि जिस प्रकार से आपके घर के समीप जाकर आप पर दरूद भेजने की कोई विशेषता नहीं है ठीक उसी प्रकार से आपके घर के समीप जा कर आप को सलाम करने की भी कोई विशेषता नहीं है, बल्कि उन्होंने आपके घर (क़ब्र) को इस कार्य के लिए आरक्षित करने से रोका है।

इस अस़र से हमें यह लाभ मिलता है कि अली बिन हुसैन -जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के "अहले बैत" में सर्वाधिक महान व ज्ञानियों में से हैं और जो अपने परनाना सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अधिकार को दूसरों कि तुलना में अधिक जानने वाले हैं- उन्होंने उस व्यक्ति का खण्डन किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास दुआ के लिए आया था, और उनके ऐसा (मना) करने पर किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि अपने समय में समस्त ताबईन का इस पर इज्मा था अर्थात सर्वसहमति थी कि क़ब्रों के पास जा कर दुआ करना ह़राम है।

चतुर्थ: क़ब्र के पास दुआ करने को प्राथमिकत देने के बात़िल व व्यर्थ होने की दलीलों में से एक यह भी है कि ऐसा करने को प्रोत्साहित करने वाली चीज़ क़ब्र वालों की ताज़ीम (आदर) व स्तुति करना है, जब्कि वाजिब यह है कि मुसलमान को दुआ करने एवं अन्य समस्त इबादतें करने पर प्रेरित करने वाली चीज़ अल्लाह तआला के आदेश तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेश की ताज़ीम व स्तुति हों, न कि क़ब्र वाले या उन जैसे अन्य मख़लूक़ (जीव) की ताज़ीम व आदर हो।

पंचम: नेक लोगों की क़ब्रों के पास जाकर दुआ करना स्वयं उस क़ब्र वाले से दुआ करने में पड़ जाने का बहुत बड़ा माध्यम है, विशेषत: बिल्कुल व्यथित एवं व्याकुलता की स्थिति में, और ह़राम तक ले जाने वाला माध्यम भी ह़राम ही होता है, जलालुद्दीन सुयूती रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब "अल-अम्र बिल-इत्तेबाअ व अल-नह्यि अन अल-इब्तिदाअ" में लिखा है, जिसको निम्न में शब्दश: नक़ल किया जा रहा है:

उस स्थान के संबंध में इस प्रकार की दंतकथाएं बयान की जाती हैं जिससे उसके प्रभावी होने का आभास होता है, जैसे एक व्यक्ति ने वहाँ पर दुआ किया तो उसकी दुआ क़बूल हो गई, या वहाँ पर मन्नत माँगी तो उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, या इसी प्रकार की अन्य बातें, तो ध्यान रहे कि **इन्हीं सब कारणों से मूर्तियों की पूजा की जाती थी, तथा इसी प्रकार के शुबुहात (भ्रांतियों) के कारण इस धरा पर शिर्क पनपा।**

क़ब्रों के पास दुआ करने को प्राथमिकता देने वाले मसले के संबंध में इमाम मालिक आदि उलेमा के कथन का उल्लेख

इस विषय में उलेमा के जो कथन वर्णित हैं उनमें से एक वह भी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास दुआ करने को बिदअत कहने के संबंध में इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से वर्णित है, अतः उनके सिवाय अन्य की क़ब्र पर जाकर दुआ करना बिदअत होने का अधिक पात्र है, चुनाँचे मालिक रहिमहुल्लाह ने फ़रमायाः

"मदीना वासियों में से जो मस्जिद (-ए- नबवी) में प्रवेश करे अथवा उससे बाहर निकले उसके लिए कतई आवश्यक नहीं है कि वह आपकी क़ब्र के पास खड़ा हो, यह तो बाहर से आने वाले आगंतुकों के लिए है"।

यह भी उनका ही कथन है किः "जो व्यक्ति यात्रा से लौट कर आया हो अथवा यात्रा के लिए निकलने वाला हो उसके लिए कोई हर्ज नहीं कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास खड़ा हो कर आप पर दरूद भेजे एवं आपके लिए तथा अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिए दुआ करे"।

उनसे कहा गयाः मदीना में कुछ ऐसे लोग हैं जो न तो यात्रा से लौट कर आए होते हैं और न ही यात्रा करने का इरादा रखते हैं फिर भी दिन भर में एक या एक से अधिक बार ऐसा करते हैं, और यदा-कदा जुमा के दिन अथवा किसी और दिन एक बार या दो बार या उससे भी अधिक बार क़ब्र के पास खड़े होते हैं, सलाम करते हैं एवं काफी देर तक दुआ करते रहते हैं।

तो उन्होंने कहाः "हमारे शहर अर्थात मदीना के उलेमा में से किसी ने ऐसा किया हो हमें इसकी सूचना नहीं है, ऐसा नहीं करना ही बेहतर है, और स्मरण रहे कि इस उम्मत के अंतिम लोगों की इस्लाह व सुधार केवल उसी चीज़ के द्वारा संभव है जिसके द्वारा प्रथम लोगों का सुधार हुआ थ, और मेरे ज्ञान की हद तक इस उम्मत के प्रारंभिक दौर के लोग ऐसा नहीं करते थे, और ऐसा करना मकरूह (अप्रिय, अरुचिकर) है सिवाय उसके जो यात्रा करके लौटा हो अथवा यात्रा करने का विचार रखता हो"।

इब्नुल क़ासिम का कथन हैः "मैंने मदीना वासियों को देखा है कि जब वह नगर से बाहर निकलते अथवा नगर में प्रवेश करते तो (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की) क़ब्र के पास आते तथा सलाम करते, वह कहते हैं : और यह एक राय मात्र है"।

तथा अल-बाजी का कथन है किः "इस मसले में मदीना वासी तथा आगंतुक के मध्य अंतर है, क्योंकि आगंतुक इसी उद्देश्य से मदीना आता है जब्कि मदीना वासी यहीं रहते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र तथा आप को सलाम करने के उद्देश्य से नहीं आते हैं"। उनका कथन समाप्त हुआ।

इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा हैः "यह मालिक हैं जो अपने युग के सबसे बड़े विद्वान थे -अर्थात तबा ताबेईन के युग में उस मदीना नगरी में जहाँ के लोग सहाबा, ताबेईन तथा तबा ताबेईन के युग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास क्या करना मशरूअ है इसके सबसे बड़े जानकार थे- वो लोग आप को सलाम करने के पश्चात दुआ के लिए वहाँ रुकने को मकरूह (अप्रिय) समझते थे, और यह बयान किया है कि मुस्तहब (पुनीत) यह है कि आप (नबी) के लिए तथा आप के दोनों साथियों के लिए दुआ की जाए, तथा दरूद व सलाम के विषय में यही मशरूअ है, और हाँ ज्ञात रहे मदीना वासियों के लिए हर समय ऐसा करना मुस्तहब नहीं है बल्कि यात्रा से लौटने के पश्चात अथवा यात्रा के लिए निकलने के समय, क्योंकि यही आपको सलाम करना है, और वह व्यक्ति जिसको सलाम किया जाता है हर समय उसको सलाम करने के लिए उसके घर नहीं जाया जाता है, यात्रा से लौटने वाले व्यक्ति के विपरीत"।

मैं यह कहता हूँ किः इमाम मालिक रह़िमहुल्लाह के इस कथनः (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, तथा अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिए दुआ करे) में गहन विचार करने की आवश्यकता है कि, उन्होंने यह नहीं कहा कि स्वयं अपने लिए दुआ करे, क्योंकि शरीअत -ए- इस्लाम में प्रमाणित व प्रचलित मसला यह है कि क़ब्र की ज़ियारत (भ्रमण) करने का उद्देश्य मैय्यित (मृत) के लिए दुआ करना है अपने लिए नहीं, रही बात ज़ायर (भ्रमणकर्ता) की तो क़ब्रिस्तान में प्रवेश करते समय जब वह यह दुआ करता है कि (يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين) (अल्लाह तआला हमारे व तुम्हारे बीच से पहले चले गए तथा बाद में आने वाले सभी पर रह़म व कृपा करे) तो उसमें वह स्वयं भी सम्मिलित होता है, और उसका क्या उत्तर होगा कि यदि कोई कहे कि क़ब्रों के पास दुआ करने के मसले में मूल बात यह है कि यह तो भ्रमणकर्ता के लिए था तथा वह मैय्यित को भूल गया?

तो इमाम मालिक रह़िमहुल्लाह का यह कथन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के विषय में है, और इमाम मालिक रह़िमहुल्लाह का कथन दूसरों की तुलना में अधिक वज़नी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग से बिल्कुल निकट होने के कारण तथा उनके मदीना वासी होने के कारण।

सारांश

उपरोक्त लेखनी के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि क़ब्रों के पास दुआ करने की शरीअत -ए- इस्लामिया में न तो कोई विशेषता है और न ही इस प्रकार की गई दुआ स्वीकार्य होने के अधिक पात्र है, बल्कि क़ब्र भी शेष धरती के अन्य स्थानों के ही समान है जहाँ दुआ करने की कोई विशेषता व फ़ज़ीलत नहीं है, जैसे नदियों के किनारे, रास्ते का कोना इत्यादि असंख्य स्थान जिनका शुमार केवल अल्लाह तआला ही कर सकता है, तथा जिसे अल्लाह तआला ने कोई विशेषता प्रदान नहीं की है।

अतः पूर्वोल्लेखित बातों से यह प्रमाणित हो गया कि **क़ब्रों के पास जाकर दुआ करने को प्राथमिकता देना बिदअत है,** और यह दावा करना कि वहाँ दुआ करना अफ़ज़ल व श्रेष्ठकर है अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहना है जिसका उसे ज्ञान नहीं है, और यह कबीरा गुनाहों में से है, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः { **تر تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر نز نم**} (-हे रसूल- आप कह दीजिए कि निस्संदेह मेरे रब ने उन समस्त फ़हश बातों -बदकारियों, अश्लीलताओं व बेहूदापन- को ह़राम व वर्जित किया है जो स्पष्ट हैं या गुप्त व छिप्त, और गुनाह की हरेक बात को, और नाह़क़ व अकारण किसी पर अत्याचार करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को साझी बनाओ जिसकी अल्लाह ने कोई सनद -दलील, आधार- नाज़िल नहीं की और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो जिसको तुम जानते नहीं)।

क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करने वाले के लिए मशरूअ यह है कि वह क़ब्रिस्तान में दफ़न मुर्दों को सलाम करे, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित दुआ करेः (السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون), (अस्सलामो अला अहलिद्दियार मिनल मोमिनीन वलमुस्लिमीन, व यरह़मल्लाहु अल-मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्ताख़िरीन, व इन्ना इन शा अल्लाह बिकुम ललाहिक़ून) (हे मोमिन व मुस्लिम घर वालों तुम पर सलामती (शांति) हो, अल्लाह तआला हमारे व तुम्हारे बीच से पहले चले गए तथा बाद में आने वाले सभी पर रह़म व कृपा करे, और यदि अल्लाह ने चाहा तो हम भी अति शीघ्र तुमसे भेंट करने वाले हैं)।

बुरैदा अल-असलमी की ह़दीस़ में यह वृद्धि हैः ((أسأل الله لنا ولكم العافية), (असअलुल्लाह लना व लकुम अल-आफ़िया) (हम अपने लिए व तुम्हारे लिए अल्लाह से आफियत (माफी व कल्याण) माँगते हैं)।

दुआ के मक़बूल व स्वीकार्य होने के शरई माध्यमों को बयान करने से संबंधित अध्याय

पुस्तक के आरंभ में हमने यह उल्लेख किया है कि अल्लाह तआला ने अपने बंदों की प्रार्थनाओं के स्वीकार्य व मक़बूल होने के लिए कुछ माध्यमों को मशरूअ (शास्त्रसम्मत विधि, विधान) क़रार दिया है, जो व्यक्ति इन माध्यमों को अपनाते हुए तथा इसे प्राथमिकता देते हुए दुआ करेगा तो ऐसी आशा है कि इन शा अल्लाह (यदि अल्लाह ने चाहा तो) उसकी दुआ मक़बूल होगी, निम्न में हम उन माध्यमों व कारणों का एक-एक करके उल्लेख करेंगे, ताकि पाठक ह़क़ व सत्य तथा उसके विपरीत से भली-भांति अवगत हो जाए, यदि हमने बिदई (नवाचारी) माध्यमों को अपनाया तो इसका अर्थ होगा कि हमने शरई माध्यमों को छोड़ दिया और ठीक इसी के विपरीत है कि यदि हमने शरई माध्यमों को अपनाते हुए दुआ किया तो इसका अर्थ होगा कि हमने सुन्नत पर अमल किया, और अल्लाह के आज्ञा व कृपा से हम अपने मामले में बिल्कुल सही व सीधे रास्ते पर हैं।

प्रार्थना के स्वीकार्य (मक़बूल) होने के अस्बाब (माध्यमों एवं कारणों) के छः प्रकार हैं:

प्रथमः वह सबब जो स्वयं प्रार्थी (दुआ करने वाले) से संबंधित है।

द्वितीयः वो अस्बाब (माध्यम) जिनका संबंध उस इबादत व उपासना से है जिसको प्रार्थी अंजाम देता है, और इनकी संख्या नौ (9) है।

तृतीयः वो अस्बाब जो प्रार्थी की दशा व हालत से संबंधित हैं, और इनकी संख्या पाँच (5) है।

चतुर्थः वो अस्बाब जो प्रार्थना के समय काल से संबंधित हैं, और इनकी संख्या पाँच (5) है।

पंचमः सामयिक व स्थानिक अस्बाब, और इनकी संख्या दो (2) है।

षष्ठ व अंतिमः वो अस्बाब जो प्रार्थना के आदाब (शिष्टाचार) से संबंधित हैं, और इनमें मुख्य तेरह (13) हैं।

पहली क़िस्मः वह सबब जो स्वयं प्रार्थी (दुआ करने वाले) से संबंधित है

यह केवल एक सबब है और वह यह है कि दुआ करने वाला व्यक्ति उन आदेशों का पालन करने वाला हो जिनके अनुपालन का आदेश अल्लाह तआला ने अपने बंदों को दिया है, तथा जिन कार्यों को अल्लाह तआला ने निषिद्ध (ह़राम) किया है उनसे दूर रहने वाला हो,

जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः{هم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير﴾ (वह ईमान वालों और नेक (भले) लोगों की सुनता है, और उन्हें अपने फ़ज़्ल व कृपा से और बढ़ा कर देता है), अर्थात उन लोगों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है, यहाँ प्रार्थना के स्वीकार्य होने के लिए ईमान और नेक अमल (सदकर्म) की शर्त लगाई है।

और अल्लाह तआला का फ़रमान हैः { ضم طح ظم عج عم غج غم فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لج﴾ (और मेरे बंदे जब मेरे बारे में आप से प्रश्न करें तो आप कह दें कि मैं अत्याधिक निकट हूँ, हरेक पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वह मुझे पुकारे, क़बूल करता हूँ, अतः लोगों को भी चाहिए कि वह मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई (हित) का कारण है), यहाँ अल्लाह तआला ने अपने उन बंदों के गुणों का उल्लेख किया है जिनकी प्रार्थना वह स्वीकार करता है, और यह बात सर्वविदित है कि बंदों को "इबाद" कह कर इसीलिए संबोधित किया है क्योंकि वो आज्ञापालन करते हैं तथा अवज्ञा से दूर रहते हैं।

माता-पिता के संग अच्छा बर्ताव करना भी प्रशंसनीय सदकर्मों में से है, ताबेईन के युग में उवैस क़रनी नामक एक नेक बुज़ुर्ग थे जो अपनी माता की बड़ी सेवा-आदर किया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों को उनसे दुआ करवाने की ओर मार्गदर्शित किया था, चुनाँचे उसैर बिन जाबिर का वर्णन है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमायाः मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुनाः "सर्वश्रेष्ठ ताबेईन में से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम उवैस क़रनी है, उनकी माता जीवित हैं एवं उनके शरीर पर सफेद दाग है, उनसे अनुरोध करना कि वह तुम्हारे लिए मग़फिरत की दुआ (क्षमा याचना) करें"।

उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास यमन वासियों का जब कोई अमदाद (समूह) आता तो वह उनसे पूछतेः क्या तुम्हारे साथ उवैस बिन आमिर हैं? यहाँ तक कि जब उवैस आए तो उनसे कहाः (**आप मेरे लिए मग़फिरत की दुआ कर दें**), तो उन्होंने उनके लिए मग़फिरत की दुआ की।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उवैस क़रनी का विशेष गुण यह बताया कि वह अपनी माता जी का बड़ा आदर-सत्कार करते हैं, और इसी कारणवश उनके द्वारा की गई दुआ क़बूल की जाती है।

और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "तीन लोग ऐसे हैं जिनकी प्रार्थना अस्वीकार नहीं होतीः अल्लाह तआला का अधिकाधिक स्मरण (ज़िक्र) करने वाला, मज़लूम (पीड़ित) की बद्दुआ (शाप) तथा न्यायप्रिय राजा"।

इस ह़दीस़ मे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि अल्लाह तआला का अधिकाधिक स्मरण करने वाले की प्रार्थना के स्वीकार होने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि वह अल्लाह तआला का आज्ञापालन करने वाला होता है, और इसी प्रकार न्यायप्रिय बादशाह की भी क्योंकि अपनी प्रजा के संबंध में वह अल्लाह के आदेशों का पालन करता है, और यह ऐसा सदकर्म है जिसको तुच्छ नहीं माना जा सकता।

और चूँकि नेक आदमी (महात्मा) की प्रार्थना के स्वीकार्य होने की प्रबल संभावना होती है इसी लिए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ऊपर जब कोई विपदा आती तो वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर प्रार्थना करवाते, क्योंकि यह बात तो सर्वविदित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सर्वाधिक नेक आदमी व महात्मा थे, ख़ब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास अपनी शिकायत लेकर आए जब्कि आप काबा की छाया में अपनी चादर को तकिया बनाकर टेक लगाए हुए थे, हमने आपसे निवेदन कियाः क्या आप हमारे लिए सहायता की माँग नहीं करेंगे, **क्या आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे**?

सारांश यह है कि दुआ करने वाला (प्रार्थी) जितना अधिक नेक व अपने रब का निकटवर्ती होगा उतना ही उसकी प्रार्थना के स्वीकार्य होने की संभावना प्रबल होगी।

दूसरी क़िस्मः वो अस्बाब (माध्यम) जिनका संबंध उस इबादत व उपासना से है जिसको प्रार्थी अंजाम देता है, और इसकी संख्या नौ (9) है।

1. **नमाज़ में सलाम फेरने के पूर्व दुआ करना**, अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णति है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया गया, हे अल्लाह के रसूल, कैसी दुआ स्वीकार किए जाने के अधिक पात्र है?

तो आपने फ़रमायाः (جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات) रात के अंतिम पहर में की गई दुआ, तथा फ़र्ज़ नमाज़ों के अंत में की गई दुआ।

अर्थात नमाज़ में सलाम फेरने के पूर्व की गई दुआ, क्योंकि ह़दीस़ में वर्णित शब्द "दुब्र" कहते हैं किसी चीज़ से जुड़े हुए उसके पिछले भाग को और यहाँ उससे अभिप्राय है सलाम फेरने से पहले का समय क्योंकि यह नमाज़ से जुड़ा हुआ उसका एक अंश है, और इसकी दलील इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की वह ह़दीस़ भी है जिसमें वह कहते हैं किः (كنت أصلي، والنبي ﷺ وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي ﷺ، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي ﷺ: سل تُعطه، سل تعطه) (मैं नमाज़ पढ़ रहा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा उनके संग अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वहीं पर थे, जब मैं बैठा तो मैंने अल्लाह तआला की प्रशंसा करने से आरंभ किया, तत्पश्चात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजा, फिर मैंने अपने लिए दुआ किया,

तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः माँगो दिया जाएगा, (और) माँगो दिया जाएगा)।

इब्नुल क़ैय्यिम रहि़महुल्लाह कहते हैं: (मेरे शैख़ (गुरू) इस को ही वरीयता (तरजीह़) देते थे कि यह सलाम के पूर्व होगा, तो मैंने इसका खंडन किया, इस पर उन्होंने फ़रमाया किः प्रत्येक चीज़ का दुब्र (पिछला भाग) जानवर के दुब्र (पिछला भाग, नितंब) के समान होता है)।

2. **सज्दे की स्थिति में बंदे का दुआ करना:** और इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फ़रमान हैः (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم), "सज्दे की स्थिति में अधिकाधिक दुआ का प्रयास किया करो, क्योंकि इस समय की जाने वाली दुआ स्वीकार किए जाने के अधिक योग्य है"।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء "बंदा अपने रब के सबसे निकट सज्दा की हालत में होता है, अतः इस स्थिति में ख़ूब दुआ किया करो"।

3. **रोज़ेदार का दुआ करना:** और इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फ़रमान हैः (ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر) "तीन प्रकार की दुआ रद्द नहीं की जातीः पिता की दुआ, रोज़ेदार की दुआ तथा यात्री की दुआ"।

फ़ायदाः पूर्वोल्लेखित ह़दीस़ से पता चलता है कि रोज़ेदार की रोज़ा की हालत में की गई दुआ, दुआ के स्वीकार्य होने के कारणों में से एक कारण है, जब्कि लोगों के मध्य यह प्रचलित है कि रोज़ेदार की इफ़्तार के समय की गई दुआ, दुआ के स्वीकार्य होने के कारणों में से एक कारण है, लेकिन जिस ह़दीस़ के आधार पर यह बात कही जाती है वह ज़ईफ़ (कमज़ोर व आधारहीन) है जिस पर एतमाद करना उचित नहीं है, और वह अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ह़दीस़ है, वह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः (مستجابة للصائم عند فطره دعوة), "रोज़ा खोलते समय रोज़ेदार के द्वारा की गई दुआ क़बूल की जाती है", चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा जब इफ़्तार करने के लिए बैठते तो अपनी पत्नी व बच्चों को बुलाते और दुआ करते।

4. **हज व उमरा करने वाले (हाजी व मोअतमिर) की दुआ:** नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फ़रमान के कारणः (الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم), "अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, एवं हाजी और मोअतमिर अल्लाह के वफ़्द (प्रतिनिधि) हैं, अल्लाह ने उन्हें बुलाया तो वो दौड़े चले आए, और उन्होंने अल्लाह से माँगा तो अल्लाह ने उनकी माँग को पूरा किया"।

5. **मुल्तज़िम के पास दुआ करना:** यह काबा का वह भाग है जो हजर -ए- असवद से ले कर काबा के द्वार तक फैला हुआ है, और इसको मुलतज़िम इसलिए कहते हैं कि लोग इसका इल्तेज़ाम करते (चिमटते) एवं वहाँ पर दुआ करते हैं, और यहाँ दुआ करना अफ़ज़ल व श्रेष्ठकर है इसकी दलील यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी छाती, मुख, दोनों बाज़ू तथा हथेलियों को काबा के हजर -ए- असवद वाले कोना से लेकर द्वार तक के भाग पर रखा करते थे, अर्थात तवाफ़ में, और आप से यह बात प्रमाणित है कि मक्का विजय के दिन आपने तथा आपके सहाबा ने अपने कपोलों को काबा की दीवार पर रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन लोगों के बिल्कुल बीच में थे।

तथा मुजाहिद रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: मैं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास आया जब्कि वह रुक्न (हजर -ए- असवद वाला कोना) और द्वार के बीच पनाह व शरण माँग रहे थे।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैः "मुझे यह प्रिय है कि कोई मुल्तज़िम (जो हजर -ए- असवद तथा काबा के दरवाज़ा के बीच का भाग है) के पास आए तथा अपनी छाती, मुख, दोनों हथेलियों एवं बाज़ुओं को रखे तथा अल्लाह तआला से दुआ करे एवं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दुआ करे, यदि चाहे तो ऐसा करे, और जायज़ है कि ऐसा त़वाफ़ -ए- वदाअ (विदाई तवाफ़) के समय करे, या चाहे तो विदाई से पहले इस प्रकार से इल्तेज़ाम के पास दुआ करे अथवा किसी और समय सभी समान हैं इसमें कोई अंतर नहीं, और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जब मक्का में प्रवेश करते तो ऐसा करते थे ... और यदि इल्तेज़ाम को छूए बिना द्वार के पास खड़े होकर दुआ करे तो भी ठीक है ..."। उनका कथन समाप्त हुआ।

6. **ज़मज़म का पानी पीते समय दुआ करना:** जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ के कारण, जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः (ماء زمزم لما شرب له), "ज़मज़म का जल पीते समय की गई दुआ स्वीकार्य होती है"।

7. दुआ के स्वीकार्य होने के लिए अल्लाह तआला ने जिन नेक आमाल (सदकर्मों) को मशरूअ (वैध) क़रार दिया है उनमें से एक, **अल्लाह तआला के अस्मा -ए- हुस्ना (अच्छे व प्यारे नामों) तथा उच्च गुणों को वसीला (ज़रिया, माध्यम) बनाते हुआ दुआ करना है,** जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः (بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَانِ ٱلرَّجِيمِ أَعُوذُ بِٱللَّهِ) (अल्लाह के बड़े अच्छे-अच्छे नाम हैं अतः इन नामों के द्वारा अल्लाह तआला से दुआ करो), उदाहरणस्वरूप इस प्रकार दुआ करे, (हे रह़म करने वाले मुझ पर रह़म कर, हे जीविका देने वाले मुझे जीविका दे, हे क्षमा करने वाले तू मुझे क्षमा कर दे) इत्यादि।

8. दुआ के स्वीकार्य होने के लिए अल्लाह तआला ने जिन नेक आमाल (सदकर्मों) को मशरूअ (वैध) क़रार दिया है उनमें से एक है, **जीवित, उपस्थित एवं दुआ करने में सक्षम**

नेक आदमी से दुआ करवाना, वह इस प्रकार कि कोई मुसलमान किसी नेक व दीनदार (भला व धार्मिक प्रवृत्ति वाले) आदमी के पास जाए तथा उससे अनुरोध करे कि उसके अमूक कार्य के लिए वह अल्लाह तआला से दुआ कर दे, जैसे वह यदि विपत्ति में फंसा हुआ है तो यह दुआ करवाए कि अल्लाह तआला उसे इस विपत्ति से छुटकारा दिला दे, या उसके लिए तौफ़ीक़ (अनुग्रह, दैवकृपा) तथा सफलता की दुआ कर दे, यह भी दुआ के स्वीकार योग्य होने के कारणों में से एक कारण है, और इसी लिए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर जब कोई आपदा आती अथवा सुखाड़ आता तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर अपने लिए दुआ करवाते थे, और ऐसा करना चंद सलफ़ (नेक पूर्वजों) से भी प्रमाणित है।

9. दुआ के स्वीकार्य होने के लिए अल्लाह तआला ने जिन नेक आमाल (सदकर्मों) को मशरूअ (वैध) क़रार दिया है उनमें से एक है, **दुआ करने वाले का स्वयं अपने किसी नेक अमल व सदकर्म को वसीला व माध्यम बनाते हुए दुआ करना,** जैसे कहेः हे अल्लाह, मेरे तुझ पर ईमान लाने के कारण, तेरे रसूल का अनुसरण करने के कारण तथा अपने माता-पिता के संग अच्छा बर्ताव करने के कारण, मुझे क्षमा दे दे और मेरे ऊपर दया कर, मैं जिस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ मुझे उससे बाहर निकाल दे, मुझे संतान दे, इत्यादि।

और सदकर्मों को वसीला बनाने के मशरूअ (वैध) होने की दलील वो आयात हैं जिनमें अल्लाह तआला ने अपने उन बंदों का उल्लेख किया है जो अल्लाह पर अपने ईमान को वसीला बनाते हुए दुआ करते हैं कि वह उन्हें नरक की यातना से बचा ले जैसे अल्लाह तआला के इस फ़रमान में हैः {جم حج حم خج خم سج سح سخ سم صحصخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم} (हे हमारे रब (प्रभु, पालनहार) हमने सुना कि पुकारने वाला ईमान की ओर बुला रहा है कि लोगों, अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए, ऐ हमारे रब, तू हमारे पापों को क्षमा कर दे और हमारी बुराईयों को हम से दूर कर दे, और हमारी मौत नेक लोगों के संग कर।

और इसकी एक दलील उन तीन लोगों का किस्सा भी है जिनके गुफा का मुँह एक पत्थर के कारण बंद हो गया था तो उन्होंने अपने-अपने नेक आमाल को वसीला व माध्यम बनाया था, पहले ने माता-पिता के संग अच्छा बर्ताव करने को वसीला बनाया, दूसरे ने व्यभिचार से बच जाने को वसीला बनाया तथा तीसरे ने व्यवहार में अमानतदारी (सत्यनिष्ठा) को वसीला बनाया तो उनके गुफा के मुख से पत्थर सरक गया और वो बाहर निकल आए, और उनका यह वृत्तांत सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है।

तीसरी क़िस्मः वो अस्बाब जो प्रार्थी की दशा व हालत से संबंधित हैं, और इनकी संख्या पाँच (5) है।

1. **मज़लूम (पीड़ित, त्रस्त) की बद्दुआ (हाय, शाप)**: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उस फ़रमान के कारण जो उन्होंने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजते समय कहा थाः (واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) , "मज़लूम अर्थात सताए हुए की बद्दुआ से बचना, क्योंकि उसके तथा अल्लाह के बीच कोई आड़ नहीं होती"।
2. **पिता की दुआ अथवा बद्दुआ उसकी संतान के लिए:** और इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फ़रमान हैः (ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر), "तीन प्रकार की दुआ रद्द नहीं की जातीः पिता की दुआ, रोज़ेदार की दुआ तथा यात्री की दुआ"।

एवं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم), "तीन प्रकार की प्रार्थनाएं निःसंदेह स्वीकार की जाती हैं: पिता की दुआ, यात्री की दुआ तथा मज़लूम की बद्दुआ"।

और तिर्मिज़ी की रिवायत में इस प्रकार हैः (دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده), "मज़लूम की बद्दुआ, मुसाफ़िर की दुआ तथा पिता की अपने संतान के लिए की गई बद्दुआ"।

3. **मुसाफ़िर की दुआ:** और इसकी दलील उपरोक्त दोनों ह़दीसें हैं।

4. **एक मुसलमान की अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए उसके पीठ पीछे (अनुपस्थिति में) दुआ करना:** अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित उस ह़दीस़ के कारण जिसमें वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل), "जो कोई मुस्लिम अपने मुस्लिम भाई के लिए उसकी अनुपस्थिति में कोई दुआ करता है तो फरिश्ता कहता हैः तुमको भी उतना ही मिले"।

और अहमद के शब्द इस प्रकार हैं:(آمين، ولك بمثل) , "आमीन, -अल्लाह इसे क़बूल करे- और तेरे लिए भी उसी के समान"।

5. **मुर्गा के बाँग देते समय दुआ करना:** इस ह़दीस़ के कारणः (إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا), "जब तुम मुर्गा की बाँग सुनो तो अल्लाह तआला से उसका फ़ज़्ल व कृपा माँगो, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है, और जब तुम गधा के रेंकने की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह व शरण माँगो क्योंकि उसने शैतान को देखा है"।

टिप्पणी:

बारिश होते समय दुआ करने की फ़ज़ीलत एक ह़दीस़ में वर्णित हुई है जिसे अबू दाऊद, बैहिक़ी और इब्ने अबी आसिम ने मूसा बिन याक़ूब अल-ज़मई से रिवायत किया है, उन्होंने अबू ह़ाज़िम और उन्होंने सह्ल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः (ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وحين البأس حين يلحم بعضه بعضا), "दो (प्रकार की दुआएं) रद्द नहीं की जातीं या फिर बहुत कम रद्द की जाती हैं: अज़ान के समय की जाने वाली दुआ, तथा द्वंद्वयुद्ध के समय की जाने वाली दुआ कि जब दोनों ओर की सेना एक-दूजे में गुत्थमगुत्था हों"।

मूसा कहते हैः मुझसे रुज़ैक़ बिन सईद बिन अब्दुर्रहमान ने, उन्होंने अबू हाज़िम से, उन्होंने सह्ल बिन साद से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है किः (و وقت المطر), "और बारिश के समय भी"।

यह ह़दीस़ मुन्कर (दूसरी सह़ीह़ ह़दीस़ के विरुद्ध ज़ईफ़ व कमज़ोर) है, क्योंकि (मूसा बिन याक़ूब अल-ज़मई) की याद्दाश्त (स्मरण शक्ति) कमज़ोर व क्षीण है, और उन्होंने इमाम मालिक -जैसाकि अभी आने वाला है- की रिवायत के विपरीत इसको रिवायत किया है, अतः इसको मरफ़ूअ (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से) रिवायत करना मुन्कर है।

और उनके गुरू रुज़ैक़ बिन सईद बिन अब्दुर्रहमान अल-मदनी भी मजहूल (अज्ञात) हैं, और उन्होंने इमाम मालिक की रिवायत के विपरीत इस शब्द (ووقت المطر), "और बारिश के समय भी") की वृद्धि कर दी है, जब्कि इमाम मालिक ने मुवत्ता में "किताबुस्सलात" के अंदर "नमाज़ के लिए अज़ान देने के विषय में" अध्याय के अंतर्गत इस ह़दीस़ को अबू ह़ाज़िम बिन दीनार से और उन्होंने सह्ल बिन साद अल-सादी से रिवायता किया है कि उन्होंने ऐसा कहा, फिर ह़दीस़ का उल्लेख किया, अर्थात इस ह़दीस़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करने के स्थान पर उस सहाबी का कथन होने को दर्शाया है, **एवं उन्होंने इस शब्द** (ووقت المطر), "और बारिश के समय भी") **का भी उल्लेख नहीं किया है**।

इसी प्रकार से इस ह़दीस़ को बैहिक़ी ने "सुनन अल-कुब्रा" में इमाम मालिक की सनद से रिवायत किया है और उसके पश्चात कहा हैः "इस ह़दीस़ को अल-ज़मई ने मरफ़ूअ रिवायत किया है जब्कि इमाम मालिक बिन अनस ने मौक़ूफ़ (सहाबी का कथन) रिवायत किया है"।

इस ह़दीस़ को शैख़ अलबानी रह़िमहुल्लाह ने सहीह क़रार दिया है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उन्होंने किस आधार पर इसको सहीह क़रार दिया है, अधिक जानकारी के लिए देखें: "सहीह अबू दाऊद अल-कबीर"।

दूसरी टिप्पणीः

कुछ उलेमा से वर्षा होते समय दुआ करने के मुस्तहब (पुनीत) होने का कथन नक़ल किया गया है, तो संभवतः उन्होंने इस विषय में वर्णित ज़ईफ़ (कमज़ोर) हदीसों के आधार पर ऐसा कहा होगा, और ऐसा कहने वालों में इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह भी हैं, चुनाँचे उनका कथन है किः "वर्षा होते समय दुआ करना मुस्तहब है"।

और इब्नुल क़ैय्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं : "मैंने अनेक उलेमा से सुन कर यह याद किया है कि बारिश होते समय तथा नमाज़ की इक़ामत के समय की गई दुआ स्वीकार्य होती है"।

और अधिक जानकारी के लिए देखें : "सहीहा"।

चौथी क़िस्मः वो अस्बाब जो प्रार्थना के समय से संबंधित हैं, और इनकी संख्या पाँच (5) है।

1. **जुमा के दिन फ़ज़ीलत वाली घड़ी में दुआ करना**: अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जुमा के दिन का ज़िक्र किया और फ़रमायाः(فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا؛ إلا أعطاه إياه. وأشاره بيده يُقَلِّلها) "इस दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि उस घड़ी में कोई मुस्लिम बंदा खड़ा हो कर नमाज़ पढ़ (दुआ कर) रहा होता है और अल्लाह से कुछ माँगता है तो अल्लाह तआला उसे वह चीज़ प्रदान कर देता है"।

और आपने अपने हाथ के द्वारा सांकेतिक भाषा में इसकी अल्पता व कम होने की ओर इशारा फ़रमाया।

और यह अल्प समय कौन सा है इसको निर्धारित करने के विषय में दो हदीसें अवतरित हुई हैं, प्रथम हदीस अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की है, वह कहते हैं किः "मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुनाः (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة), "यह इमाम के मिंबर (मंच) पर बैठने से लेकर नमाज़ समाप्त होने तक का समय है"।

और द्वितीय हदीस जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की है वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि आपने फ़रमायाः (يوم الجمعة اثنا عشرة ساعة، فيها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر) "जुमा के दिन बारह घंटे होते हैं, जिन में एक घंटा ऐसा होता है कि उस घड़ी में मुस्लिम बंदा अल्लाह तआला से जो कुछ माँगता है वह उसे अता कर देता है, अतः इस घड़ी को अस्र के बाद के अंतिम समय में तलाश करो"।

इब्नुल क़ैय्यिम रहिमहुल्लाह "ज़ाद अल-मआद" में लिखते हैं:

इन कथनों में सबसे सटीक दो कथन हैं जो सही ह़दीस़ से प्रमाणित हैं, और उन दोनों में से एक कथन दूसरे कथन की तुलना में अधिक सटीक है।

प्रथम कथन: इमाम के मिम्बर (मंच) पर बैठने से ले कर नमाज़ समाप्त होने तक का समय है, और इसकी दलील अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु वाली ह़दीस़ है।

द्वितीय कथन: वह समय अस्र के बाद है, और यह सबसे सटीक बात है, और यही कथन हैः अब्दुल्लाह बिन सलमा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इमाम अहमद रह़िमहुल्लाह एवं उलेमा के एक बड़े समूह का, और इस कथन की दलील है अबू सईद और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वह ह़दीस़ जिसे अहमद ने "मुसनद" में रिवायत किया है, और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़।

और सईद बिन मंसूर ने अपने "सुनन" में अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा का एक समूह एक स्थान पर एकत्रित हुआ और उन्होंने जुमा के दिन के उस विशेष घड़ी के विषय में चर्चा किया, और जब उनके जाने का समय हुआ तो सभी इस बात पर सहमत हो चले थे कि वह विशेष घड़ी जुमा के दिन अंतिम समय में होती है।

इसके पश्चात इब्नुल क़ैय्यिम रह़िमहुल्लाह फ़रमाते हैं : "यही कथन अधिकतर सलफ़ का है, और अधिकांश ह़दीस़ें इसी को प्रमाणित करती हैं, और इस के सबसे निकट कथन नमाज़ के समय वाला है, और इसके अतिरिक्त जितने कथन हैं उनकी कोई दलील नहीं है।

और मेरा अपना यह मानना है नमाज़ के समय वाली घड़ी भी ऐसी घड़ी है जिसमें प्रार्थना के स्वीकार्य होने की आशा की जाती है, अर्थात दोनों घड़ी ऐसी है जिसमें प्रार्थना के स्वीकार्य होने की आशा है, यद्यपि अस्र के बाद वाला जो समय है वह प्रथम की तुलना में अति विशिष्ट है, यह दिन भर में एक निश्चित समय है जो आगे पीछे नहीं होता, जब्कि नमाज़ के समय जो घड़ी होती है वह नमाज़ के अधीन है, अर्थात नमाज़ पढ़ने के समय के हिसाब से आगे पीछे होती रहती है, क्योंकि मुसलमानों का एक स्थान पर एकत्रित होना, उनका इस प्रकार इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ना, विनती करना तथा अल्लाह तआला के समक्ष गिड़गिड़ाना, इन सब चीज़ों का उसके स्वीकार्य होने में बड़ा प्रभाव पड़ता है, अतः उनके एक साथ इकट्ठा होने की घड़ी ऐसी घड़ी है जिसमें प्रार्थना के स्वीकार्य होने की संभावना होती है। तथा इस तरह से समस्त ह़दीस़ों के मध्य संतुलन भी बन जाता है। और इस प्रकार से यह बात सामने आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत को इन दोनों घड़ियों में अल्लाह से विनती करने के लिए प्रोत्साहित किया है"।

इस आधार पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वाली प्रथम ह़दीस़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमानः (قائم يصلي, खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा होता है) का अर्थ होगाः दुआ

कर रहा होता है, क्योंकि अरबी शब्द "सलात" दुआ के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अल्लाह तआला का फ़रमान है:{ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ } (आप उनके लिए सलात (अर्थात दुआ) कीजिए, निःसंदेह आपकी सलात (दुआ) उनके लिए इत्मीनान व शांति का कारण है)।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनः (قائم يدعو, खड़े होकर दुआ करता है), का अर्थ है कि वह अनवरत दुआ करता रहता है, इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि वह अपने शरीर को खड़ा रख कर उसी खड़ा होने की मुद्रा में दुआ करता है।

2. मध्य रात्रि में दुआ करना: जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की उस ह़दीस़ के कारण जिसमें वह कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुनाः (إن في الليل لساعة، لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة) "रात्रि में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें कोई मुस्लिम बंदा यदि अल्लाह तआला से दुनियाँ व आख़िरत (लोक परलोक) से संबंधित किसी भलाई का सवाल करता है तो अल्लाह तआला उसे वह दे देता है, और ऐसा हरेक रात में होता है"।

और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः(ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له) "हमारा रब प्रत्येक रात्रि को जब रात्रि का अंतिम तीसरा पहर होता है तो सांसारिक आकाश पर पधारता है और फ़रमाता हैः "कौन है मुझे पुकारने वाला जिसकी पुकार को मैं सुनूँ, कौन है जो मुझसे माँगे तो मैं उसकी माँग पूरी करूँ, कौन है जो मुझसे मग़फिरत माँगे अर्थात क्षमा याचना करे मैं उसको माफ़ कर दूँ"।

और इन दोनों ह़दीस़ों के मध्य इस प्रकार से संतुलन बनाया जा सकता है कि रात के तीसरे पहर वाले समय में उस मुबारक व शुभ घड़ी के होने की सबसे प्रबल संभावना होती है।

3. **रात्रि में जाग कर दुआ करना**, यह पहले वाले की तुलना में आम व व्यापक है, इससे पहले वाले में विशेष रूप से मध्य रात्रि में दुआ करने का उल्लेख है जब्कि इसमें रात्रि के किसी भी भाग में दुआ करने का उल्लेख है, और इसकी दलील उबादा बिन स़ामित रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जो रात में जाग्रत हो और यह पढ़े: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله) , (ला इलाहा इल्लल्लाहु, वहदहू ला शरीका लहु, लहुल-मुल्को व लहुल-हम्दु, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल-ह़म्दुलिल्लाहि, व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहहलि अलिय्यिल अज़ीम,) (अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा माबूद

(पूज्य, उपास्य) नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझीदार नहीं, उसी की बादशाहत (राजत्व, शासन, प्रभुत्व) है और उसी के लिए समस्त प्रकार की प्रशंसा है तथा वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है अर्थात सामर्थ्यवान व सक्षम है, अल्लाह के लिए हर प्रकार की प्रशंसा है, वह पाक व पवित्र है, और अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं, वह सबसे बड़ा है, और अल्लाह की शक्ति व सामर्थ्य के बिना हम किसी चीज़ को अंजाम देने में सक्षम नहीं हैं, और फिर यह कहाः (اللهم اغفر لي) (अल्लाहुम्मग़फ़िर ली) हे अल्लाह, तू मुझे क्षमा कर दे, या फिर कोई दुआ करे तो उसकी दुआ क़बूल की जाती है, और यदि वुज़ू करके नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ क़बूल की जाती है)"।

अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्णन है, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुनाः (حتى من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله ؛ لم ينقلب ساعة من الليل سأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه(يدركه النعاس "जो पाक व पवित्र हो कर बिस्तर पर आता है तथा अल्लाह का ज़िक्र व स्मरण करता रहता है (यहाँ तक कि उसे ऊँघ आने लगे), तो रात्रि के किसी भी भाग में यदि वह अल्लाह तआला से दुनियाँ व आख़िरत (लोक परलोक) से संबंधित कोई दुआ करता है तो अल्लाह उसे वह चीज़ प्रदान कर देता है"।

4. **रमज़ान मास में दुआ करनाः** इस ह़दीस़ के कारणः (إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة), "हरेक दिन व रात अल्लाह तआला जहन्नम से क़ैदियों को रिहा करता है, और हरेक दिन व रात में रोज़ेदार की एक दुआ अवश्य स्वीकार की जाती है"।
5. **अज़ान व इक़ामत के मध्य दुआ करनाः** अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः (لا يُرد الدعاء بين الأذان والإقامة), "अज़ान व इक़ामत के मध्य की गई दुआ रद्द नहीं की जाती"।

और अम्र बिन आस़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अस़र (हदीस़) में है कि एक व्यक्ति ने कहाः "हे अल्लाह के रसूल, मुअज़्ज़िनों को हम पर वरीयता प्राप्त है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः (قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسَلْ تُعطه) "जैसा वो कहते हैं तुम भी वैसा ही कहो, और जब अज़ान समाप्त हो जाए तो (जो माँगना हो) माँगो तुझे दिया जाएगा"।

पाँचवी क़िस्मः सामयिक व स्थानिक अस्बाब, और इनकी संख्या दो (2) है।

1. **अरफ़ा के दिन हाजियों का दुआ करनाः** इस ह़दीस़ के कारणः (خير الدعاء دعاء يوم عرفة) "सबसे उत्तम दुआ अरफ़ा के दिन की दुआ है"।
2. **हाजियों का मशअर -ए- ह़राम में ईद वाले दिन की सुबह में दुआ करनाः** और मशअर -ए- ह़राम मिना की ओर से मुज़दलिफ़ा की तरफ़ स्थित है, और इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हज का विवरण बयान करने वाली जाबिर

रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ है, जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुज़दलिफ़ा में रात बिताया, जब सुबह की नमाज़ पढ़ाई तो अपनी ऊँटनी पर सवार हो कर मशअर -ए- ह़राम आए, क़िबला की ओर रुख़ किया, फिर आपने दुआ किया, और तकबीर (अल्लाहु अकबर), तहलील (लाइलाहा इल्लल्लाह) और अल्लाह की तौह़ीद बयान की, आप खड़े होकर इसी प्रकार से करते रहे यहाँ तक कि अच्छे से उजाला फैल गया।

अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करते हुए उस समय व उस स्थान पर दुआ करना सुन्नत है तथा यदि अल्लाह ने चाहा तो उस दुआ के स्वीकार्य होने की प्रबल संभावना भी है।

छठी क़िस्मः वो अस्बाब जो प्रार्थना के आदाब (शिष्टाचार) से संबंधित हैं, और इनमें प्रमुख तेरह (13) हैं।

1. **सदा अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखना और प्रार्थना स्वीकार्य होने की आशा रखनाः** इस ह़दीस़ के कारणः (ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة) "तुम अल्लाह से इस उम्मीद के साथ दुआ करो कि तुम्हारी दुआ अवश्य स्वीकार की जाएगी", अर्थात अल्लाह तआला तुम्हें निराश नहीं करेगा, और यह उसी समय होगा जब दुआ करने वाला सम्पूर्ण रूप से आशान्वित होकर निश्छल भाव से दुआ करे, क्योंकि यदि वह सम्पूर्ण रूप से आशान्वित नहीं होगा तो दुआ करने में विनती व अनुनय भाव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ह्रदय राजा है और शरीर के बाकी अंग उसके गुलाम।

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ है कि अल्लाह तआला फ़रमाता हैः(أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني) , "मैं बंदे के गुमान के अनुसार होता हूँ, तथा मैं उसके संग होता हूँ जब वह मेरा स्मरण करता है", और मुस्लिम की एक रिवायत में इस प्रकार है किः(وأنا معه إذا دعاني) , "जब वह मुझे पुकारता है तो मैं उसके संग होता हूँ"।

2. **गिड़गिड़ाते हुए, विनती करते हुए, निश्छलता तथा मिन्नत भाव के साथ दुआ करनाः** क्योंकि इख़्लास़, सच्चाई, निश्छलता तथा विनम्रता एवं ख़ाकसारी क़बूलियत की कुंजी हैं, अल्लाह तआला के इस फ़रमान पर अमल करते हुएः{ ئحـ ئمـ ئهـ بجبحـ } (तुम अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ा कर भी और चुपक-चुपके भी)।

और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जब किसी को कोई दुःख तथा निराशा हो और यह दुआ पढ़ेः

(اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي)

(अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, वब्नु अब्दिक, वब्नु अमतिक, नासियती बियदिक, माज़िन फ़ीय्या हुक्मुक, अदलुन फ़ीय्या क़ज़ाउक, असअलुक बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, सम्मैता बिहि नफ़्सक, औ अनज़लतहु फ़ी किताबिक, औ अल्लमतहु अहदम मिन ख़लक़िक, औ इस्तासरता बिहि फ़ी इल्मिल ग़ैबि इन्दक, अन तजअलल क़ुरआन रबीआ क़लबी, व नूर सदरी, व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी) (अर्थात, हे अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे (भक्त) का बेटा हूँ, तेरे बांदी (भक्तनि) का बेटा हूँ, मेरा माथा तेरे हाथ में है, तेरा आदेश मुझ में जारी है, मेरे बारे में तेरा फ़ैसला न्याय आधारित है, मैं तुझ से हर उस नाम के साथ माँगता हूँ जो तेरा है, जिसके द्वारा तूने अपना नाम रखा है, या तूने उसे अपनी किताब में उतारा है या उसे अपनी मख़लूक़ (रचना) में से किसी को सिखाया है, या उसे अपने निकट इल्म -ए- ग़ैब में रखने को प्राथमिकता दी है, कि तू क़ुरआन को मेरे दिल की बहार, मेरे सीने का नूर, मेरी चिंता को दूर करने वाला और मेरी परेशानी व शंका को ले जाने वाला बना, तो अल्लाह तआला उसकी चिंता व दुःख को दूर कर देता है, तथा उसे प्रसन्नता से बदल देता है)।

पूछा गयाः हे अल्लाह के रसूल, क्यों न इसे हम सीख लें?

आपने फ़रमायाः जो इसको सुने उसे चाहिए कि वह इसे सीख ले"।

और चुपके-चुपके दुआ करने के दस लाभ का उल्लेख इब्ने तैमीय्या ने किया है, जैसाकि "मजमू अल-फ़तावा" (15/ 15-22) में है।

3. **दिल लगा करके दुआ करना**, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस के कारणः (ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافلٍ لاهٍ) "तुम अल्लाह से इस उम्मीद के साथ दुआ करो कि तुम्हारी दुआ अवश्य स्वीकार की जाएगी, और यह बात भली भांति जान लो कि अल्लाह तआला खिलवाड़ करते हुए बिना दिल से किए गए दुआ को क़बूल नहीं करता है"।

(अर्थात, जब तुम दुआ करो तो दिल लगा कर दुआ करो, सोच समझ कर दुआ करो, और ध्यान रहे कि तुम तेज, प्रताप तथा प्रभुत्व वाले रब को संबोधित कर रहे हो, अतः किसी भी रूप में एक दुर्बल व कमज़ोर भक्त के लिए उचित नहीं है कि वह अपने स्वामी को ऐसे वाक्यों द्वारा संबोधित करे जिसे वह समझता ही नहीं है, अथवा बारंबार ऐसे वाक्यों का प्रयोग करे जिनके अर्थों को वह जानता नहीं है या उन वाक्यों की मूल भावना से बिल्कुल अनभिज्ञ है)।

शैख़ अब्दुर्रहमान बिन सादी रहिमहुल्लाह सूरह आराफ़ में अवतरित अल्लाह तआला के फ़रमानः {ﱡﭐ ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج حم خج خم صم}

(तुम अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ा कर भी और चुपके-चुपके भी, निस्संदेह अल्लाह तआला उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएं।। और सुधार हो जाने के पश्चात संसार में फ़साद व उपद्रव न फैलाओ, और तुम अल्लाह की इबादत व उपासना करो उस से भयभीत होते हुए तथा आशान्वित रहते हुए), की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि:

“दुआ में, दुआ -ए- मसअला (मांगने वाली प्रार्थना) एवं दुआ -ए- इबादत (उपासना वाली प्रार्थना) दोनों सम्मिलित हैं, अल्लाह तआला ने गिड़गिड़ा कर दुआ करने का आदेश दिया है, अर्थात सम्पूर्ण विनम्रता अपनाते हुए तथा निरंतर उपासना करते हुए दुआ करना, और (بجبح (ख़ुफ्यतन, छिप्त रूप से)) का अर्थ है कि सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार से ज़ोर-ज़ोर से दुआ न मांगो जिससे पाखण्ड का आभास हो, बल्कि छिप्त रूप से चुपके-चुपके अल्लाह तआला से पूरे इख़लास व निश्छलता के साथ दुआ करो।

{ بخ بم بى تج ﴾ (निस्संदेह अल्लाह तआला उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएं), अर्थात किसी भी मामले में हद को फलांग जाने वाला, और इसी हद के फलांगने में से यह भी है कि बंदा अल्लाह तआला से ऐसी वस्तुओं का प्रश्न करे जो उसके लिए अनुचित है, अथवा दुआ में “तनत्तुअ” अर्थात अतिश्योक्ति से काम ले, या दुआ करते समय अपनी आवाज़ को बुलंद करने में अत्युक्ति करे, ये सभी उस हद फलांगने में दाख़िल हैं जिसको वर्जित किया गया है।

{ تخ تم تى ثم ﴾ (धरती पर फ़साद न फैलाओ), कुकर्म करने के द्वारा।

{جح جم﴾ (उसमें सुधार हो जाने के पश्चात), सदकर्मों के द्वारा, क्योंकि कुकर्म व गुनाह नैतिकता, कर्तव्य तथा जीविका सभी को फ़ासिद व बर्बाद कर देता है, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमान है: {لى مج مح مخ مم نج نح نخ نم} (लोगों की करतूतों के कारण जल एवं थल में उपद्रव फैल गया), जब्कि इसके विपरीत सदकर्मों के द्वारा नैतिकता, कर्तव्य, जीविका तथा लोक एवं परलोक की स्थितियों में सुधार आता है।

अर्थात उसके दंड से भयभीत हो कर तथा उसके स़वाब व पुण्य की आशा रखते हुए, उन इबादतों के स्वीकार्य होने की उम्मीद रखते हुए तथा उनके रद्द हो जाने से डरते हुए, और उस बंदे की तरह दुआ न करो जो आत्ममुग्धता का शिकार होकर अपने निश्चित स्थान से अपने आपको बड़ा समझते हुए ऐसे दुआ करता हो जैसे अपने रब पर एहसान कर रहा हो, अथवा उस व्यक्ति की तरह दुआ न करो जो बेदिली व उपेक्षित भाव से दुआ करता हो।

अल्लाह तआला ने दुआ करने के जिन आदाब व शिष्टाचार का उल्लेख किया है उसका सारांश यह है कि, केवल एक अल्लाह के लिए इख़्लास़ व निःकपट भाव से दुआ किया जाए, क्योंकि यह चुपके-चुपके, छिप्त एवं गुप्त रूप से दुआ करने को सम्मिलित है, और हृदय भयभीत तथा

आशावान दोनों हो, न तो निर्लिप्त भाव से और स्वयं को सुरक्षित समझते हुए और न ही दुआ के स्वीकार अस्वीकार होने की परवाह न करते हुए, दुआ में यही एहसान है, क्योंकि किसी भी इबादत व उपासना में एहसान का अर्थ है उस में भरसक प्रयास करना तथा उसे पूर्णरूपेण मुकम्मल तौर पर अंजाम देना कि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाए"। उनका कथन समाप्त हुआ।

4. **आकाश की ओर हाथों को उठा कर अपनी असहायता को दर्शाते हुए दुआ करना** भी दुआ के आदाब में से है, क्योंकि इसमें सर्वशक्तीमान व प्रभुत्वशाली अल्लाह के समक्ष स्वयं को विनम्र एवं असहाय प्रदर्शित करना है, चुनाँचे सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "निःसंदेह तुम्हारा रब बड़ा लज्जा वाला तथा दाता है जब कोई बंदा अपने हाथों को उठा कर उससे दुआ करता है तो उसे लज्जा आती है कि वह उसे ख़ाली हाथ लौटा दे"।

5. **दुआ यदि क्षमा याचना से संबंधित हो तो अपने गुनाहों का एतराफ़ करना** भी दुआ के आदाब में से है, और जो नबियों के दुआ माँगने के ढंग पर विचार करेगा तो उसे यह चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, चुनाँचे आदम अलैहिस्सलाम ने कहाः { لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح} (हे हमारे रब (प्रभु) हमने अपने ऊपर अत्याचार कर लिया है और यदि तू हमें क्षमा तथा हमारे ऊपर दया नहीं करेगा तो हम अवश्य ही नाश हो जाएंगे)।

और अल्लाह तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कहाः { قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ين} (तथा ज़ुन्नून (मछली वाले अर्थात यूनुस अलैहिस्सलाम) को याद करो, जब्कि वह क्रोधित हो कर चला गया, और सोचा कि हम उसे पकड़ेंगे नहीं, अंततः उसने अंधेरे में पुकारा कि तेरे सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं, तू पाक व पवित्र है, वास्तव में मैं ही दोषी हूँ)।

और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि आप मुझे ऐसी दुआ सिखलाएं जिसके द्वारा मैं नमाज़ में दुआ करूँ, तो आपने फ़रमायाः यह दुआ पढ़ोः (اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم) (अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अन्ता, फ़ग़फिरली मग़फिरतम मिन इन्दिक, इन्नका अन्तल ग़फूरुर्रहीम) (अर्थातः ऐ अल्लाह, मैंने अपने ऊपर अत्यधिक ज़ुल्म कर लिया है, और तेरे सिवाय कोई ज़ुल्म को माफ़ करने वाला नहीं है, अतः तू अपने पास से मुझे माफ़ कर दे तथा मेरे ऊपर दया कर, निःसंदेह तू बड़ा दयावान तथा क्षमा करने वाला है।

तथा शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "सैय्यिदुल इस्तिग़फ़ार यह कहना हैः (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا

عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استعطت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (हे अल्लाह तू मेरा रब व पालनहार है तेरे सिवाय कोई सच्चा माबूद व पूज्य नहीं, तूने मुझे पैदा किया है और मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तुझसे किए गए वादा व संकल्प पर क्षमता भर क़ायम हूँ, मैं तेरी शरण चाहता हूँ अपने हर उसे कर्म से जिसके कारण मैं तेरी नेमतों (अनुग्रहों) से वंचित हो जाऊँ, मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ अतः तू मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं है)"।

6. **अपनी दयनीय स्थिति का उल्लेख करना** भी दुआ के आदाब में से है, और इसका उदाहरण सूरह मरियम के प्रारंभ में वर्णित ज़करीय्या अलैहिस्सलाम की दुआ हैः { نى ني هج هم هى هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ﴾ (उसने कहाः हे मेरे रब (प्रभु) मेरी अस्थियां निर्बल हो गईं और सिर बुढ़ापे के कारण सफेद हो गया, तथा हे मेरे पालनहार कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं तुझसे दुआ करके निष्फल हुआ हूँ)। ज़करीय्या अलैहिस्सलाम ने प्रार्थना करने के पूर्व अपने बुढ़ापे तथा दुर्बलता को बताते हुए एक भूमिका बांधी जो दया तथा कृपा भाव को प्रेरित करती व जगाती है, फिर पूर्व में अल्लाह के द्वारा स्वीकार किए गए अपनी दुआओं का वसीला पकड़ा और कहाः { يم يى يي ذٰ رٰ ﴾ (मैं तुझसे माँग कर कभी निराश नहीं हुआ)।

एवं मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दोनों महिलाओं के जानवरों को पानी पिला दिया तो कहने लगेः { تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى } (हे मेरे रब, तू जो भी भलाई मुझ पर उतार दे मैं उसका मोहताज हूँ), अंततोगत्वा उनके लिए ख़ैर व भलाई आई जब दोनों में से एक महिला उनके पास अपने पिता के पास जाने का आमंत्रण लेकर पहुँची, और वहीं उन्होंने नेक पत्नी, पवित्र ससुराल तथा निर्धनता को दूर कर देने वाला रोज़गार पाया {قي فى في قى كا كل كم كى كي لم لى لي ما ممنر} (तो दोनों में से एक स्त्री लज्जा के साथ चलती हुई उसके पास आई, और उसने कहाः मेरे पिता आप को बुला रहे हैं ताकि आपने जो हमारे लिए पानी पिलाया है उसका पारिश्रमिक दें)।

7. **दुआ करने के पूर्व अल्लाह तआला की प्रशंसा करना तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजना** भी दुआ के आदाब में से है, और इसका प्रमाण बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग मस्जिद में दाख़िल हुए तो देखा कि एक आदमी नमाज़ पढ़ कर दुआ माँग रहा है और कह रहा हैः हे अल्लाह, मैं तुझ से प्रश्न करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि तू ही अल्लाह है तेरे सिवाय कोई और माबूद नहीं, तू अकेला व बेनियाज़ (निःस्पृह) है, जो न तो किसी की संतान है और न उसकी कोई संतान है, और न जिसके समान कोई है।

तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “जिसके हाथ में मेरी जान है उस ज़ात की क़सम, इसने अल्लाह के इस्म -ए- आज़म (महान नाम) के द्वारा प्रश्न किया है जिसके द्वारा यदि प्रश्न किया जाए तो दिया जाता है, और जब पुकारा जाए तो पुकार सुनी जाती है”।

और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बैठे हुए थे और एक व्यक्ति नमाज़ पढ़ रहा था, फिर उसने दुआ किया तो कहाः (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم) (हे अल्लाह मैं तुझसे माँगता हूँ, तथा तेरे लिए ही समस्त प्रकार की प्रशंसा है, तेरे सिवाय कोई अन्य पूज्य नहीं तू बड़ा एहसान करने वाला है, धरती व आकाश का अविष्कार करने वाला, हे तेज तथा सम्मान वाले, हे सदा जीवित रहने वाले हे नित्य स्थाई।

तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः इसने अल्लाह के इस्म -ए- आज़म के द्वारा प्रार्थना की है जिसके द्वारा यदि प्रार्थना की जाए तो वह स्वीकार की जाती है, और यदि उसके द्वारा माँगा जाए तो दिया जाता है।

और उन्हीं से वर्णित है किः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब कोई परेशानी वाला मामला पेश आता तो आप कहतेः ((يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث)) (हे सदा जीवित रहने वाले हे नित्य स्थाई, मैं तेरी रहमत व दया भाव का वास्ता दे कर तुझसे फरियाद करता हूँ)।

तथा अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि आपने फ़रमायाः “अल्लाह तआला का इस्म -ए- आज़म (महान नाम) क़ुरआन करीम की तीन सूरतों में हैः अल-बक़रह, आले इमरान तथा ताहा”।

क़ासिम कहते हैं : जब मैंने उसे तलाश किया तो पता चला कि वहः {مم مى﴾ (सदा जीवित रहने वाला तथा नित्य स्थायी) है।

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि दुःख व चिंता के समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ पढ़ते थेः (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم) (अज़ीम व ह़लीम (महान व सहनशील) अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं, महान सिहांसन वाले अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं, आकाश व धरती तथा अर्श -ए- करीम (बुज़ुर्ग व उदार सिंहासन) के रब के सिवाय कोई सच्चा रब नहीं)।

तथा अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं किः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे सिखाया है कि जब मेरे ऊपर कोई आपदा आए तो यह पढ़ूँ: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين) (अल्लाह सहनशील व उदार के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं, अल्लाह पाक व

पवित्र है, अल्लाह तआला अति शुभ व महान सिंहासन वाला है, तथा समस्त प्रकार की प्रशंसा सारे संसार के रब के लिए है)।

साद बिन अबि वक़्क़ास़ रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है वह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "ज़िन्नून (यूनुस अलैहिस्सलाम) की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में की थी वह यह हैः (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)(तेरे सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं, तू पाक व पवित्र है, वास्तव में मैं ही दोषी हूँ), इसके द्वारा यदि कोई मुस्लिम किसी चीज़ के लिए दुआ करता है तो अल्लाह तआला उसे अवश्य स्वीकार करता है"।

ये ह़दीसें तथा इन जैसी अन्य ह़दीसें ये लाभ देती हैं कि प्रार्थी को चाहिए कि वह प्रार्थना करने के पूर्व अल्लाह तआला की प्रशंसा करे क्योंकि यह प्रभुत्वशाली अल्लाह के समक्ष मनुहार करना है जोकि दिल को मोम करने व पिघलाने का कार्य करता है जिसके परिणामस्वरूप दुआ के स्वीकार्य होने की प्रबल संभावना बन जाती है।

दुआ करने के पूर्व प्रशंसा करने का सबसे बड़ा उदाहरण सूरह फ़ातिह़ा है, क्योंकि इसके दो भाग हैं, प्रथम प्रशंसा है तथा द्वितीय प्रार्थना है, जहाँ तक प्रशंसा का प्रश्न है तो वह अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैः ﴿نم نى ني هج مح مخ مم مى مي نج نح نخ﴾ (समस्त प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का रब व पालनहार है। जो अत्यंत कृपाशील एवं दयावान है। जो प्रतिकार (बदले) के दिन का मालिक है।)

तथा द्वितीय भाग शेष सूरत है जोकि प्रार्थना एवं आशा हैः ﴿يى يي ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر﴾ ((हे अल्लाह,) हमें सीधा मार्ग (सुपथ) दिखा। उनका मार्ग जिन पर तूने पुरस्कार किया, उनका नहीं जिन पर तेरा प्रकोप उतरा और न ही उनका जो गुमराह (कुपथ, पथभ्रष्ट) हो गए।)

मेरा कहना है किः अल्लाह की रुबूबियत का उल्लेख करते हुए उसकी प्रशंसा करना, अल्लाह की प्रशंसा करने का सर्वोत्तम ढ़ंग है, जैसे दुआ करने वाला इस प्रकार कहेः हे मेरे रब (पालनहार), मैं तुझसे अमूक अमूक चीज़ें मांगता हूँ, और इसी कारणवश बहुतेरे क़ुरआनी दुआएं अल्लाह तआला की रुबूबियत का उल्लेख करने से प्रारंभ होती हैं, इस का उदाहरण अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: { خج خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح﴾ (हे हमारे रब (प्रभु) हमें लोक में भलाई दे एवं परलोक में भी भलाई दे, और हमें नरक की यातना से सुरक्षित रख), एवं यह फ़रमानः { ضج ضح ضخ ضم طح ظم عجعم} (हे मेरे रब (पालनहार) यदि हमसे कोई भूल-चूक हो जाए तो हमें न पकड़), एवं यह फ़रमानः {عج عم غج غم فج فح فخ } (हे हमारे रब, हमारे दिलों को मार्गदर्शित कर देने के पश्चात कुटिल न कर) इत्यादि, इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं।

तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को नमाज़ पढ़ते हुए सुना कि उसने सर्वप्रथम अल्लाह की प्रशंसा व बड़ाई बयान की तत्पश्चात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः प्रार्थना कर तेरी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी, तथा माँग तुझे दिया जाएगा।

तथा एक रिवायत में इस प्रकार है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति से कहाः इसने जल्दबाज़ी से काम लिया, फिर उसको बुलाया तथा उससे या किसी और से कहाः "जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो सर्वप्रथम अल्लाह की प्रशंसा व उसकी बड़ाई बयान करने से आरंभ करे, तत्पश्चात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजे, फिर जो चाहे दुआ करे"।

उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है वह कहते हैं किः "दुआ आकाश एवं धरती के मध्य ठहरी रहती है, उसमें से कुछ भी उस समय तक ऊपर नहीं चढ़ सकता जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद न भेजा जाए"।

और अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मौक़ूफ़ रिवायत है किः "प्रत्येक दुआ उस समय तक रोकी हुई होती है जब तक मुहम्मद तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के परिवार वालों पर दरूद न भेजा जाए"।

8. **दुआ के स्वीकार होने में जल्दबाज़ी न करना** भी दुआ के मक़बूल होने के कारणों में से है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की उस ह़दीस़ के कारण जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "तुम में से किसी की दुआ उस समय तक क़बूल होती रहती है जब तक वह उतावलापन न करे, वह कहता हैः मैंने दुआ तो की परंतु मेरी दुआ क़बूल नहीं हुई"।

तथा सहीह मुस्लिम में उन्हीं की रिवायत हैः "बंदे की दुआ जो गुनाह अथवा संबंध तोड़ने वाली न हो तो वह उस समय तक स्वीकार्य होती रहती है जब तक वह उतावलापन न करे, प्रश्न किया गयाः हे अल्लाह के रसूलः उतावलापन का क्या अर्थ है?

आपने फ़रमायाः बंदा कहता हैः "मैंने कितनी ही बार दुआ किया किंतु ऐसा लगता है कि मेरी दुआ क़बूल नहीं होती, अतः वह निराश हो कर दुआ करना छोड़ देता है"।

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जब कोई मुस्लिम ऐसी दुआ करता है जो गुनाह अथवा संबंध तोड़ने से संबंधित न हो तो अल्लाह तआला उस दुआ के साथ तीन प्रकार का मामला फ़रमाता हैः या तो अति शीघ्र उस दुआ को स्वीकार कर लेता है, अथवा उसको आख़िरत (परलोक) के लिए संजो कर रख लेता है, या फिर उसी के समान उस पर आने वाली विपदा को दूर कर देता है"।

तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहाः तब तो हम अधिकाधिक दुआ करेंगे, तो आपने फ़रमायाः अल्लाह भी तुझे ख़ूब देगा"।

और यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कभी-कभी दुआ के स्वीकार्य होने में देरी का कारण कोई हिकमत (तत्वदर्शिता) होती है जिसको केवल अल्लाह ही जानता है, और चूँकि मानव स्वाभाव धन एवं धनाढ्यता को पसंद करता है तो यदि अल्लाह तआला मानव के धन की बहुलता वाली सभी दुआओं को स्वीकार कर के उसे मालदार बना दे तो यह उसके बाग़ी एवं उपद्रवी होने का संभावित कारण बन सकता है, और देखें कि कितनी सच्ची बात कही है अल्लाह तआला नेः {ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج حم} (और यदि अल्लाह तआला अपने भक्तों के लिए जीविका को फैला देता तो वह धरती में विद्रोह कर देते, परंतु वह एक अनुमान के अनुसार जैसे वह चाहता है उतारता है, वास्तव में वह अपने भक्तों से भली-भांति परिचित है (तथा) वह उन्हें देख रहा है)।

9. दुआ के आदाब में से यह भी है, **विस्तार को छोड़ कर जवामेअ अल-कलिम (ऐसे वाक्यों का प्रयोग जिनके अक्षर कम हों तथा अर्थ अधिक हों) के द्वारा अर्थात संक्षेप में दुआ करनाः** आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है वह कहती हैं किः "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुआ में संक्षिप्तीकरण (जवामेअ) को प्रिय रखते थे तथा उसके अतिरिक्त (विस्तार) को छोड़ देते थे"।

तथा इसी का एक उदाहरण मुस्लिम की वह रिवायत भी है जिसको फ़रवा बिन नौफ़ल ने रिवायत किया है, वह कहते हैं किः मैंने आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से प्रश्न किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किस चीज़ के द्वारा दुआ करते थे, तो उन्होंने कहाः "आप इस तरह कहा करते थेः (اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل)हे अल्लाह मैंने जो कर्म किया उसकी बुराई से तेरी शरण चाहता हूँ, तथा जो कर्म मैंने नहीं किया उसकी भी बुराई से तेरी शरण चाहता हूँ"।

इब्ने अबू मूसा से वर्णित है वह अपने पिता से रिवायत करते हैं और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि आप इस दुआ के द्वारा प्रार्थना किया करते थेः (رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي، وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير) (हे मेरे रब, मेरे गुनाह तथा मेरी अज्ञनता को क्षमा कर दे, तथा समस्त मामले में मेरे इसराफ़ (फ़िज़ूल एवं अनावश्यक कार्य) को माफ़ कर दे, और जिसको तू मुझसे अधिक जानता है, हे अल्लाह मेरे द्वारा जानबूझ कर किए गए तथा मेरी भूल-चूक को माफ़ कर दे, और मेरी अज्ञानता एवं बिना उद्देश्य किए गए कर्म को, और हरेक उस चीज़ को जो मेरी ओर से हो, हे अल्लाह मैंने जो पहले किया अथवा

बाद में किया सभी को माफ़ कर दे, और जो मैंने दिखा कर किया अथवा छुपा कर किया, तू ही आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है, और तू हरेक चीज़ पर क़ुदरत (सामर्थ्य) रखने वाला है।

और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अधिकतर दुआ यह होती थीः { خج خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح﴾ (हे हमारे रब (प्रभु) हमें लोक में भलाई दे एवं परलोक में भी भलाई दे, और हमें नरक की यातना से सुरक्षित रख)।

इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं:

दुनियाँ में "हसनह अर्थात भलाई" मांगने में प्रत्येक वांछित सांसारिक चीज़ आ जाती है, जैसे आफ़ियत (कुशल, क्षेम), बढ़िया घर, अच्छी पत्नी, बढ़िया आजीविका, लाभदायक ज्ञान, नेक अमल (सदकर्म), आरामदायक सवारी, भूरि-भूरि प्रशंसा, इत्यादि जिसका दर्शन मुफ़स्सिरीन (व्याख्याता) के आलेखों में होता है, तथा इसके मध्य कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि ये समस्त दुनियाँ की हसनह (भलाई) में शामिल हैं।

जहाँ तक आख़िरत (परलोक) में हसनह (भलाई) का प्रश्न है तो इसमें सर्वोत्तम जन्नत में प्रवेश पाना है तथा उसके अंतर्गत आते हैं अरसात (मैदान) में बड़ी घबराहट से अमन व रक्षा, हिसाब में आसानी इत्यादि जिसका संबंध परलोक की अच्छाई से है।

जहाँ तक नरक से मोक्ष की बात है तो इसका अर्थ है संसार में उससे बचने के माध्यमों को सरल कर देना, जैसे गुनाह एवं हराम कार्यों से बचना, तथा शुबुहात (दुविधा में डालने वाली चीज़ों) एवं हराम से बचना। उनका कथन समाप्त हुआ।

और इसमें कोई संशय नहीं कि क़ुरआन व हदीस में अवतरित दुआएं सबसे जामेअ (संक्षिप्त) हैं, तथा गलती व चूक से पाक एवं मुबारक व शुभ हैं, अतः इन के द्वारा दुआ करना इसको छोड़ कर स्वनिर्मित दुआओं के द्वारा दुआ करने की तुलना में बेहतर है कि जिसमें अनावश्यक विस्तार, बेकार की तुकबंदी एवं उलझाव वाली वाक्य रचना की गई होती है।

और इसी आशय की ओर उस हदीस में इशारा है जिसको अबू नआमा ने रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल ने अपने बेटे को इस प्रकार से दुआ करते हुए सुनाः ऐ अल्लाह मैं जब जन्नत में प्रवेश करूँ तो तुझसे जन्नत के दाईं ओर सफ़ेद महल का सवाल करता हूँ।

तो उन्होंने कहाः हे मेरे सुपुत्र, अल्लाह तआला से जन्नत में प्रवेश तथा जहन्नम से सुरक्षा का सवाल करो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना है

किः "मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे जो पाकी हासिल करने तथा दुआ करने में अतिश्योक्ति से काम लेंगे"।

अबू नआमा ने ही इब्ने साद से रिवायत किया है, वह कहते हैं किः मेरे पिता ने मुझे इस प्रकार से दुआ करते हुए सुनाः हे अल्लाह मैं तुझसे जन्नत तथा उसकी नेमतों एवं मनमोहकता और मनोहरता तथा अमूक-अमूक चीज़ों का प्रश्न करता हूँ, और मैं जहन्नम और उसकी ज़ंजीरों व बेड़ियों तथा अमूक-अमूक चीज़ों से तेरी शरण चाहता हूँ, तो उन्होंने कहाः हे मेरे सुपुत्र, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना हैः "शीघ्र ही एक ऐसा समुदाय आएगा जो दुआ करने में अतिश्योक्ति करेगा", अतः तुम उनमें हो जाने वालों में से बचो, यदि तुम्हें जन्नत दे दिया गया तो उसमें जो भलाई है वह भी तुझे मिल जाएगी, और यदि तुझे जहन्नम से बचा लिया गया तो उसमें जो बुराई है उससे भी तुझे बचा लिया जाएगा।

और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं: "जब दुआ में तुकबंदी (अनुप्रास) देखो तो उससे बचो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं उनके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को ऐसा करते हुए नहीं देखा है"। अर्थातः वो लोग ऐसा करने से बचते थे।

तथा शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं:

इसमें कोई संदेह नहीं कि अज़कार तथा दुआएं सर्वोत्तम इबादत में से हैं, और इबादत का आधार तौक़ीफ़ (शरीअत में वर्णित तरीक़ों पर ही रुक जाना) एवं इत्तेबाअ (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण) है न कि हवा (अपनी ओर से स्वनिर्मित त़रीका) तथा इब्तेदाअ (नवाचार), अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित दुआ एवं अज़कार सर्वोत्तम चीज़ें हैं जिनके द्वारा एक दुआ करने वाला दुआ कर सकता है, तथा इस पथ का पथिक सुरक्षित एवं सीधे मार्ग पर है, और इसका जो लाभ एवं परिणाम निकलता है उसको ज़ुबान के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, और न कोई मानव इसका अंदाज़ा लगा सकता है, और इसके अतिरिक्त जो (स्वनिर्मित) अज़कार हैं वो या तो कभी ह़राम (वर्जित) होते हैं तो कभी मकरूह (अप्रिय), और यदा-कदा वो शिर्क आधारित भी होते हैं जिनको अधिकांश लोग नहीं समझ पाते हैं, यह तो मैंने मोटे तौर पर लिखा है अन्यथा इसको यदि विस्तार से बयान करूँ तो बहुत लम्बा हो जाएगा है।

और किसी के लिए भी यह जायज़ नहीं है कि वह मस्नून अज़कार को छोड़ किसी अन्य अज़कार का लोगों के मध्य प्रचार करे, तथा उसे इस प्रकार से लोगों के बीच प्रचलित कर दे कि लोग उन पर वैसे ही अमल करने लगें जैसे वह पाँच फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतेमाम करते हैं, बल्कि यह दीन में बिदअत ईजाद करना है जिसकी अनुमति अल्लाह तआला ने नहीं दी है, इसके विपरीत कि इंसान कभी-कभार उसे सुन्नत बनाए बिना उसके द्वारा दुआ करे, यदि इसके बारे में यह ज्ञात न हो कि इसमें ह़राम अर्थ छिप्त है तो विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह

ह़राम है, किंतु यदा-कदा उसमें वह अर्थ निहित होता है परंतु व्यक्ति को इसका आभास नहीं हो पाता, यह ऐसे ही है कि इंसान कभी आवश्यकतानुसार दुआ कर रहा होता है तथा उसके मस्तिष्क में दुआ के शब्द आते चले जाते हैं जिसके द्वारा वह दुआ करता है, तो यह इसी से मिलती जुलती स्थिति है।

लेकिन शरीअत में वर्णित दुआओं को छोड़ कर स्वनिर्मित दुआओं को सुन्नत का स्थान दे कर दुआ करना वर्जित है, और यह ज्ञात रहे कि शरीअत में वर्णित अज़कार तथा दुआ में सारे अर्थ निहित हैं तथा ये समस्त उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम हैं, एवं उसको छोड़ कर स्वनिर्मित नई एवं बिदअत आधारित अज़कार को वही अपनाएगा जो अज्ञानी, हद्द से बढ़ने तथा अति करने वाला होगा।

10. दुआ के स्वीकार्य होने के कारणों में से है, **पूर्णविश्वास के साथ दुआ करना तथा उसको अल्लाह की इच्छा पर नहीं छोड़ना देना**, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की इस ह़दीस़ के कारण कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जब तुम में से कोई दुआ करे तो दृढ़ संकल्प के साथ अल्लाह तआला से दुआ करे, यह न कहे किः हे अल्लाह, यदि तू चाहे तो मुझे यह चीज़ दे दे, क्योंकि अल्लाह तआला को विवश करने वाला या उस पर दबाव डालने वाला कोई नहीं है"।

इस अध्याय में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ भी है।

और दुआ की स्वीकार्यता को अल्लाह की इच्छा पर छोड़ देने का अर्थ यह निकलता है कि बंदे को इसके स्वीकार अथवा अस्वीकार होने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है, इसीलिए इससे रोका गया है, और वाजिब यह है कि दृढ़ संकल्प के साथ दुआ करे और इसे अल्लाह की इच्छा पर न छोड़े।

11. दुआ के स्वीकार्य होने के कारणों में से एक कारण है **तीन बार दुआ करना**, और इसकी दलील इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ है किः "आप जब दुआ करते तो तीन बार दुआ करते और जब आप माँगते तो तीन बार माँगते"।

अल्लामा नौवी इस ह़दीस़ की व्याख्या में लिखते हैं किः "इससे तीन बार दुआ करने के मुस्तहब होने का प्रमाण मिलता है"।

12. दुआ के स्वीकार्य होने के कारणों में से एक कारण है **किसी भी परिस्थिति में निरंतर दुआ करते जाना**, चाहे दुःख हो या सुख हो, इससे बेफिक्र हो कर नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि सुख में दुआ करते रहना दुःख में की गई दुआ के मक़बूल होने का कारण है, चुनाँचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम ने फ़रमायाः “जिसको यह बात पसंद हो कि दुःख एवं आपदा के समय अल्लाह तआला उसकी दुआ को क़बूल करे तो उसे चाहिए कि वह सुख की स्थिति में अधिकाधिक दुआ करे”।

13. दुआ के स्वीकार्य होने के कारणों में से एक कारण है, **हलाल खाना**, और इसकी दलील अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः हे लोगों, अल्लाह तआला पाक व पवित्र है तथा वह पवित्र को ही स्वीकार करता है, और अल्लाह तआला ने मोमिनों को उसी चीज़ का आदेश दिया है जिसका आदेश उसने रसूलों को दिया है, अतः फ़रमायाः {ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ} (हे रसूलों, पवित्र भोजन करो एवं नेक अमल (सदकर्म) करो तुम जो भी करते हो उसे मैं जानता हूँ), तथा फ़रमायाः { ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ (हे मोमिनों, मैंने तुमको जो हलाल व पवित्र आजीविका दी है उसमें से खाओ), तत्पश्चात आपने एक व्यक्ति का उल्लेख कियाः (أغبر، يمد يديه إلى السماء؛ (يا رب، يا رب) ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه أشعث حرام، وغذي بالحرم، فأنى يستجاب لذلك), जो लम्बी यात्रा करके आया है, उसके सिर तथा पाँव धूल-धूसरित हैं, वह अपने हाथों को आसमान की ओर फैलाता है और दुआ करता है (हे मेरे रब, हे मेरे रब), जब्कि उसका खाना ह़राम, उसका पीना ह़राम, उसका पहनना ह़राम है और ह़राम के द्वारा ही उसकी परवरिश हुई है, तो कैसे उसकी दुआ स्वीकार की जाएगी।

प्रार्थना के स्वीकार्य होने के अस्बाब (कारण) से संबंधित इब्नुल क़ैय्यिम रहिमहुल्लाह के लेख से चयनित फ़ायदा

इब्नुल क़ैय्यिम रहिमहुल्लाह अपनी पुस्तक “अल-दाअ व अल-दवा” के प्राक्कथन में लिखते हैं:

यहाँ एक बात पर ध्यान देना अति आवश्यक है, वह यह कि वो अज़्कार तथा दुआएं जिनके द्वारा उपचार एवं झाड़-फूँक किया जाता है वो स्वयं अपने आप में लाभदायक एवं रोगनिवारक तो हैं किंतु किसी मानव पर प्रभाव छोड़ने के लिए इन्हें उचित स्थान एवं ऐसा करने वाले के हिम्मत व उसके असर की आवश्यकता होती है, तो यदि किसी पर ये अज़्कार एवं दुआएं प्रभावी होने में असफल हों तो ऐसा या तो उस करने वाले के अंदर दुर्बलता के कारण हुआ है, अथवा उस स्थान के क़बूल न करने के कारण या किसी ऐसी शक्तिशाली रुकावट के कारण हुआ है जिसने इस दवा (अर्थात अज़्कार व दुआएं) को अपना प्रभाव छोड़ने में असफल कर दिया है, जैसा वास्तविक रोग एवं दवा के साथ होता है, क्योंकि कभी-कभी औषधि इसलिए प्रभावी नहीं हो पाती है क्योंकि मानव शरीर उसे स्वीकार नहीं कर पाता है, और कभी उस रूकावट के कारण यह औषधि अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती है जो मानव शरीर में विद्यमान होता है जो उसे लाभ पहुँचाने से रोक देता है, क्योंकि मानव शरीर यदि पूर्णरूपेण दवा को अच्छे ढ़ंग से स्वीकार कर ले तो उसी अनुपात में उस दवा का प्रभाव भी मानव शरीर पर पड़ता है,

ठीक इसी प्रकार हृदय भी यदि (शरई) झाड़-फूँक तथा मुअव्वज़ात (अल्लाह की शरण मांगने वाली दुआओं) को पूर्णरूपेण स्वीकार कर ले तो उसी अनुपात में उसका प्रभाव पड़ेगा, इसी प्रकार से झाड़-फूँक करने वाले के साहस एवं उत्साह का भी रोग को दूर करने में बड़ा प्रभाव होता है।

इसी प्रकार, वांछनीय को पाने तथा अवांछनीय को दूर करने के माध्यमों में से सबसे तगड़ा माध्यम दुआ है, किंतु इसके बावजूद यदा-कदा यह प्रभावहीन हो जाता है, ऐसा या तो स्वयं उस दुआ में कमज़ोरी के कारण होता है जैसे वह ऐसी दुआ हो जो अत्याचार आधारित हो और अल्लाह तआला इसे पसंद नहीं करता, अथवा हार्दिक कमज़ोरी के कारण हो जैसे दुआ करते समय अल्लाह की ओर पूर्णरूपेण आकर्षित नहीं होना, यह उस धनुष के समान है जो बिल्कुल ढ़ीली हो परिणामस्वरूप इससे निकलने वाला बाण भी एक दम दुर्बल एवं प्रभावहीन होगा।

या किसी ऐसी चीज़ के कारण होगा जो उस दुआ को स्वीकार्य होने से रोक दे जैसे ह़राम खाना, ज़ुल्म व अत्याचार करना, दिल का गुनाहों से अटा होना, ग़फ़लत, शहवत एवं खेल-कूद व आनंद में डूबा होना, जैसाकि मुसतदरक ह़ाकिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः (ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافلٍ لاهٍ) "तुम अल्लाह से इस उम्मीद के साथ दुआ करो कि तुम्हारी दुआ अवश्य स्वीकार की जाएगी, और यह बात भली भांति जान लो कि अल्लाह तआला खिलवाड़ करते हुए बिना दिल से किए गए दुआ को क़बूल नहीं करता है"।

तो यह दुआ मूल रूप से रोग को दूर करने में लाभदायक तो है किंतु दिल का अल्लाह की इबादत से दूर होना उसको निष्क्रिय कर देता है।

इसी प्रकार ह़राम खाना भी इसकी शक्ति को क्षीण तथा इसे कमज़ोर कर देता है, जैसाकि सह़ीह़ मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "हे लोगों, अल्लाह तआला पाक व पवित्र है तथा वह केवल पवित्र को ही स्वीकार करता है, और अल्लाह तआला ने मोमिनों को उसी चीज़ का आदेश दिया है जिसका आदेश उसने रसूलों को दिया है, अतः फ़रमायाः { **ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج** } (हे रसूलों, पवित्र खाना खाओ एवं नेक अमल (सदकर्म) करो तुम जो भी करते हो उसे मैं जानता हूँ), तथा फ़रमायाः { **ظم عج عم غج غم فج** } (हे मोमिनों, मैंने तुमको जो ह़लाल व पवित्र आजीविका दी है उसमें से खाओ), तत्पश्चात आपने एक व्यक्ति का उल्लेख कियाः (أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء؛ (يا رب، يا رب)

ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرم، فأنى يستجاب لذلك), जो लम्बी यात्रा करके आया है, उसके सिर तथा पाँव गर्द से अटे हुए हैं, वह अपने हाथों को आसमान की ओर फैलाता है और दुआ करता है (हे मेरे रब, हे मेरे रब), जब्कि उसका खाना ह़राम, उसका पीना ह़राम, उसका पहनना ह़राम है और ह़राम के द्वारा ही उसकी परवरिश हुई है, तो कैसे उसकी दुआ स्वीकार की जाएगी"।

तत्पश्चात उन्होंने पृष्ठ 21 में लिखा हैः

"दुआ एवं तअव्वुज़ात हथियार के समान हैं, तथा हथियार केवल धार मात्र का नाम नहीं है वरन हथियार नाम है उसके प्रयोग करने वाले का, तो जब हथियार पूरी तरह धारदार हो उसमें कोई त्रुटि नहीं हो, हथियार चलाने वाला बाज़ू मज़बूत हो तथा उसको प्रभावी होने से रोकने वाली कोई चीज़ वहाँ न हो, तब जा कर वह शत्रु को पूरी तरह से चोट पहुँचाने में सफल होगा, और इन तीनों चीज़ों में से किसी एक में भी जितनी कमी होगी उसी के अनुपात में वह प्रभावहीन होगा, इसी प्रकार से यदि दुआ स्वयं अपने आप में अनुचित हो, अथवा दुआ करने वाला अपने हृदय एवं ज़ुबान से पूर्णरूपेण ध्यान लगा कर दुआ ना करे, या उस दुआ को प्रभावहीन करने वाली कोई रूकावट वहाँ मौजूद हो तो उस दुआ का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है"।

तथा उन्होंने पृष्ठ 14 पर लिखा हैः

"और जब वह दुआ करते समय दिल से पूर्णरूपेण उपस्थित हो कर तल्लीनता के साथ पूरी तरह से एकाग्रचित्त हो कर वांछनीय वस्तु के लिए दुआ करे, और दुआ के स्वीकार्य होने के छः समय, रात का अंतिम तीसरा पहर, अज़ान के समय, अज़ान एवं इक़ामत के मध्य, फ़र्ज़ नमाज़ों के पश्चात, जुमा के दिन इमाम के मिंबर (मंच) पर चढ़ने से लेकर नमाज़ समाप्त होने तक, तथा जुमा के दिन अस्र के बाद दिन के अंतिम समय, इन छः में से किसी एक समय का चयन करते हुए दुआ करे, हार्दिक रूप से विनम्र होते हुए तथा अपने रब के समक्ष स्वयं को कमज़ोर दर्शाते हुए, स्वयं को छोटा दर्शाते हुए गिड़गिड़ा कर सविनय प्रार्थना करे, और प्रार्थी क़िबला की ओर रुख़ करके दुआ करे, वह पाकी की हालत में हो, अपने हाथों को आसमान की ओर उठाए, अल्लाह की बड़ाई व प्रशंसा से आरंभ करे, तत्पश्चात अल्लाह के बंदे व रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजे, फिर दुआ करने के पूर्व तौबा व इस्तिग़फ़ार (क्षमा याचना) करे, फिर अल्लाह की ओर ध्यान मग्न हो कर पूरी तरह से गिड़गिड़ा कर दुआ करे, अल्लाह की रहमत व मेहरबानी को उभारने वाले कर्म करे तथा उससे भयभीत एवं आशान्वित होते हुए दुआ करे, और अल्लाह के नाम, गुण एवं उसकी तौहीद को वसीला व माध्यम बनाए, और दुआ करने के पूर्व दान पुणय करे, यदि इस प्रकार से दुआ किया जाए तो ऐसी दुआ विरल ही रद्द की जाती है, विशेष रूप से यदि उन वर्णित दुआओं के द्वारा दुआ करे जिनके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा है कि इसके स्वीकार्य होने की प्रबल संभावना होती

है, या वह अल्लाह के इस्म -ए- आज़म (महान नाम) आधारित हों"। इब्नुल क़ैय्यिम रहि़महुल्लाह का कथन समाप्त हुआ।

कुछ शुबुहात (दुविधाएं) एवं उनके उत्तर (समाधान)

कुछ लोगों ने चंद ह़दीसों को आधार बनाते हुए यह समझा है कि ये ह़दीसें क़ब्रों के पास दुआ करने की प्रधानता को प्रमाणित करती हैं, जब्कि वास्तव में ये ह़दीसें ज़ईफ़ व कमज़ोर तथा आधारहीन हैं जिनको आधार बनाना सही नहीं है, उनमें से चार अत्यंत प्रसिद्ध हैं:

प्रथम ह़दीस़: वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास दुआ करने को प्रधानता देते हैं उनकी दलील बैहिक़ी की वह ह़दीस़ है जिसे उन्होंने "शुअब अल-ईमान" में रिवायत किया है, वह कहते हैं:

हमें अबू सईद बिन अबि अम्र ने सूचना दी, उन्हें अबू अब्दुल्लाह अल-सफ़्फ़ार ने सूचना दी, वह कहते हैं कि हमसे अबू बकर बिन अबिद्दुनिया ने बयान किया, वह कहते हैं हमसे सईद बिन अबी उस़्मान ने बयान किया है, वह कहते हैं कि हमसे इब्ने अबी फ़ुदैक ने बयान किया है, वह कहते हैं किः मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि, हम तक यह सूचना पहूँची है कि जो व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र (समाधि) के समीप खड़ा हो कर इस आयत की तिलावत करेः { ۞ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بى بي تر} ((अल्लाह तथा उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, हे ईमान वालों उन पर दरूद व अधिकाधिक सलाम भेजो), आप पर अल्लाह की ओर से दरूद उतरे हे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)), जब सत्तर बार वह इस प्रकार कहता है तो एक फरिश्ता (देवदूत) उसको उत्तर देते हुए कहता हैः हे अमूक, तुम पर अल्लाह की ओर से रह़मत अवतरित हो, तेरी आवश्यकता की अवश्य ही पूर्ति की जाएगी।

इस ह़दीस़ को अबू अब्दुल्लाह अल-नज्जार ने इब्ने अबिद्दुनिया के त़रीक (माध्यम) से अपनी किताब "अख़बार अल-मदीना" में रिवायत किया है।

इसका जवाब यह है कि यह अस़र अत्यंत ज़ईफ़ (आधारहीन) है, जिसके मूल वर्णनकर्ता का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इब्ने अबी फ़ुदैक ने जिस से इसको रिवायत किया है उसका परिचय ही नहीं करवाया है, क्योंकि वह कहते हैं किः "कुछ लोगों" ने जिन से मेरी भेंट हुई यह बयान किया, इस पर तुर्रा यह कि यह "कुछ लोग" भी कहते हैं किः (हमें यह सूचना मिली है), अतः यह मजहूल (अज्ञात) की मजहूल से रिवायत है, अतः यह मोअज़ल है।

फिर यह भी ज्ञात रहे कि यह मत्न (ह़दीस़ के शब्द) मुन्कर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सह़ीह़ सनद से प्रमाणित है कि आपने फ़रमायाः "जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें (कृपा) नाज़िल करता है", जब्कि इस ह़दीस़

का अर्थ यह निकलता है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सत्तर बार दरूद भेजा तो फरिश्ता मात्र एक बार उस पर रहमत की दुआ करता है।

द्वितीय ह़दीस़: मुहम्मद बिन ह़सन बिन ज़ुबाला अपनी किताब "अख़बार अल-मदीना" में लिखते हैं कि मैंने मदीना वासियों में से एक व्यक्ति को देखा जिसे मुहम्मद बिन कीसान कहा जाता था, वह जुमा के दिन जब अस्र की नमाज़ पढ़ लेता तो आता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास खड़ा हो जाता, और हम रबीआ बिन अबू अब्दुर्रहमान के संग बैठे होते, फिर वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सलाम करता यहाँ तक कि शाम हो जाती, रबीआ के संग बैठे हुए लोग कहतेः देखो यह क्या कर रहा है? तो वह उत्तर देते हुए कहतेः छोड़ो, इंसान जिसकी नीयत करता है उसी का एतबार होता है।

इसका उत्तर यह है किः इस वृत्तांत की सनद अत्यंत ज़ईफ़ (आधारहीन) है, क्योंकि इस क़िस्सा को बयान करने वाला रावी -ह़सन बिन मुहम्मद बिन ज़ुबाला- कज़्ज़ाब (महा झूठा) है, जैसाकि अबू दाऊद ने कहा है।

और नसई ने कहाः मतरूक है।

और अबू ह़ातिम कहते हैं: वाही अल-ह़दीस़ है।

और दार क़ुतनी आदि ने कहा है किः वह मुन्करुल ह़दीस़ है।

और इब्ने ह़ज़्म का कथन है किः सामान्य रूप से इसकी बात का कोई मान नहीं है, इसके बारे में यह़्या बिन मईन ने कहा हैः वह स़िक़ा (विश्वसनीय) नहीं है, संक्षेप में कहें तो इस पर सभों की सर्वसहमति है कि उसकी बात आधारहीन होती है जिसे उठा कर फेंक देना चाहिए।

अतः इस आधार पर इस क़िस्सा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और रबीआ की तरफ़ जो चीज़ मंसूब की गई है वह उनसे बरी हैं क्योंकि उनसे रिवायत करने वाला रावी कज़्ज़ाब (महा झूठा) है।

तृतीय अस़रः इब्ने ज़ुबाला "अख़बार अल-मदीना" में कहते हैं: मुझसे उमर बिन हारून ने सलमा बिन वरदान के हवाले से रिवायत किया, वह कहते हैं किः मैंने अनस बिन मालिक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (की समाधि) को सलाम करते हुए देखा, तत्पश्चात आपने अपनी पीठ को क़ब्र की दीवार से सटाया फिर दुआ करने लगे।

इसका उत्तर यह है किः यह अस़र ज़ईफ़ जिद्दा (बिल्कुल आधारहीन) है, क्योंकि इब्ने ज़ुबाला, मुहम्मद बिन ह़सन बिन ज़ुबाला है, जोकि महा झूठा (कज़्ज़ाब) है, और उमर बिन हारून भी झूठा होने का आरोपी है, और सलमा बिन वरदान ज़ईफ़ुल ह़दीस़ है।

चतुर्थ अ़सर: क़ब्रों के पास दुआ करने को जिन लोगों ने प्रधानता दी है उन्होंने अपने प्रमाण के तौर पर बड़े उलेमा से सम्बद्ध मिथ्या व झूठी बातों को भी दलील बनाया, और उसे शरीअत के समानांतर स्थान दे कर उसकी पैरवी करने लगे, उन्हीं क़िस्सों में से एक इमाम शाफ़ई रह़िमहुल्लाह से संबद्ध है कि वह सउद्देश्य अबू ह़नीफ़ा रह़िमहुल्लाह की क़ब्र के पास जाकर दुआ किया करते थे, और इस वृत्तांत का उल्लेख "ख़तीब बग़दादी" ने अपनी किताब "तारीख़ -ए- बग़दाद" में किया है, वह कहते हैं, मुझे क़ाज़ी अबू अब्दुल्लाह हुसैन बिन अली बिन मुह़म्मद अल-स़ैमरी ने सूचना दी, वह कहते हैं: हमें उमर बिन इब्राहीम अल-मुक़री ने ख़बर दी, वह कहते हैं: हमसे मुक्रम बिन अह़मद ने बयान किया, वह कहते हैं: हमसे उमर बिन इस्ह़ाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, वह कहते हैं: हमसे अली बिन मैमून ने बयान किया, वह कहते हैं: मैंने शाफ़ई को कहते हुए सुना किः मैं अबू ह़नीफ़ा से तबर्रुक अर्थात बरकत हासिल करता हूँ, मैं प्रत्येक दिन उनकी क़ब्र के पास -अर्थात ज़ियारत व भ्रमण करने हेतु- आता हूँ, जब भी मुझे कोई हाजत एवं आवश्यकता होती है तो मैं दो रकात नमाज़ पढ़ता हूँ तथा उनकी क़ब्र (समाधि) के पास आता हूँ, और अल्लाह तआला से उस हाजत का सवाल करता हूँ, तो मेरी वह हाजत शीघ्र ही पूरी कर दी जाती है।

इसका उत्तर यह है किः इस क़िस्से का इमाम शाफ़ई रह़िमहुल्लाह से संबंध जोड़ना छः कारणों से ज़ईफ़ (आधारहीन) हैः

पहला कारण: इस क़िस्सा की सनद ज़ईफ़ है, अल्लामा अलबानी रह़िमहुल्लाह इस क़िस्सा की सनद के संबंध में कहते हैं:

यह रिवायत ज़ईफ़ (आधारहीन) है, बल्कि बातिल (मिथ्या) है, क्योंकि उमर बिन इस्ह़ाक़ अज्ञात है, इल्म -ए- रिजाल से संबंधित पुस्तकों में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और संभवतः वह अम्र बिन इस्ह़ाक़ बिन इब्राहीम बिन हुमैद बिन अल-सकन अबू मुह़म्मद अल-तूनसी हो सकता है, ख़त़ीब ने उनकी जीवनी (2/ 226) लिखी है, और कहा है कि वह बुख़ारा का निवासी है, सन 341 हिजरी में हज के उद्देश्य से बग़दाद से गुज़रा, तथा उसकी न तो प्रशंसा की है और न ही भर्त्सना, अतः इस आधार पर वह मजहूलुल ह़ाल (जिसका स्थिति स्पष्ट न हो) है, किंतु यह असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके गुरू अली बिन मैमून का देहांत अधिकांश लोगों के मतानुसार सन 247 हिजरी में हुआ, इस आधार पर उसके तथा उसके गुरू के देहांत के मध्य लगभग सौ वर्ष का अंतर है, अतः यह असंभव है कि उसकी भेंट उनसे हुई हो, बहरहाल यह रिवायत ज़ईफ़ है जिसके सही होने का कोई प्रमाण नहीं है।

दूसरा कारण: ऐसा होना असंभव है, चुनाँचे इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह कहते हैं:

यह असंभव है कि उम्मत किसी कार्य के उत्तम होने पर सहमत हो इस अर्थ में कि अमूक कार्य करना यदि उत्तम होता तो नेक पूर्वजों ने किया होता, और वो ऐसा नहीं करें, यह आम

सहमति (इज्माअ) के विरुद्ध है, जब्कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं होता है, और यदि किसी मसले में बाद के लोगें के बीच मतभेद हो जाए तो उनके मध्य फैसला करने वाला केवल क़ुरआन, ह़दीस़ एवं पूर्वजों की आम सहमती (इज्माअ) है चाहे वह नस से संबंधित हो अथवा इस्तिंबात अर्थात दलीलों से मसला निकाला गया हो, अतः यह कैसे संभव है!!! - वलह़म्दुलिल्लाह (समस्त प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है)- किसी भी प्रसिद्ध इमाम अथवा अनुकरणीय आलिम से ऐसा कुछ भी नक़ल नहीं किया गया है, बल्कि उनसे संबंधित जो भी बातें नक़ल की गई हैं वो या तो झूठी हैं, जैसाकि कुछ लोगों ने इमाम शाफ़ई से यह नक़ल किया है किः वह कहते हैं ... फिर उन्होंने उपरोक्त क़िस्सा बयान किया।

तीसरा कारण: इसको भी इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह ने ही बयान किया हैः "कि इमाम शाफ़ई जब बग़दाद आए तो उस समय बग़दाद में कोई ऐसी क़ब्र व समाधि नहीं थी जिसके पास जाकर दुआ करने को लोग बेहतर समझते हों, बल्कि शाफ़ई के युग तक ऐसी कोई बात लोगों के मध्य प्रचलित ही नहीं थी, जब्कि इमाम शाफ़ई रह़िमहुल्लाह ने हिजाज़, यमन, शाम, इराक़ तथा मिस्र में नबियों, स़हाबा एवं ताबईन की अनेक क़ब्रों को देखा जो उनके निकट तथा समस्त मुस्लिमों के निकट इमाम अबू ह़नीफ़ा तथा उन जैसे उलेमा से हज़ारों गुणा बेहतर हैं, तो आपके क्या विचार हैं कि उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार से क़ब्र के पास जाकर दुआ नहीं किंतु अबू ह़नीफ़ा की क़ब्र के पास जाकर दुआ किया।

फिर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अबू ह़नीफ़ा के वो शिष्य एवं साथी जिन्होंने उनका युग पाया था जैसे अबू यूसुफ़, मुहम्मद, ज़ुफ़र तथा ह़सन एवं उनके समय के अन्य लोग वो भी न तो इमाम अबू ह़नीफ़ा की क़ब्र (समाधि) के पास जाकर दुआ करते थे और न ही किसी अन्य की समाधि के पास"।

चौथा कारण: इमाम शाफ़ई से उनकी किताब में यह बात प्रमाणित है कि वह फित्ना में पड़ जाने के डर से मानव जाती कि क़ब्रों के महिमामंडन एवं आदर करने को मकरूह (अप्रिय) समझते थे, अतः उनसे संबंधित इस प्रकार का झूठा क़िस्सा वही गढ़ सकता है जिसका धर्म के ऊपर विश्वास एवं बोद्धिक क्षमता कमज़ोर हो, या यह कहें कि यह वृत्तांत ऐसे व्यक्ति से नक़ल किया गया है जो मजहूल अर्थात अज्ञात है जिसका कुछ अता पता नहीं है।

हमारा हाल तो यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी यदि इस प्रकार के विकृत एवं मनगढ़त किस्सा के समान ह़दीस़ रिवायत की जाए तो उसे हम उस समय तक नहीं मानेंगे जब तक वह सही सनद से प्रमाणित न हो जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अतिरिक्त किसी और से संबद्ध इस प्रकार के मनगढ़त किस्सों के प्रति हमारा क्या रवैया होगा इसका आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं।

पाँचवां कारण: शैख़ अब्दुर्रहमान बिन यह्या अल-मुअल्लिमी रहिमहुल्लाह अपनी किताब "तलीआ अल-तन्कील" में इस क़िस्सा की सनद को ज़ईफ़ क़रार देने के पश्चात लिखते हैं:

यह तो था इसकी सनद का हाल, और किसी भी बुद्धिजीवी से यह बात छुपी नहीं है कि इस प्रकार की चीज़ें प्रमाणित नहीं होतीं, बल्कि हवा हवाई होती हैं, **इस क़िस्सा की जो स्थिति है वह इसकी और अधिक पुष्टि करती है, क्योंकि एक तो प्रत्येक दिन अबू ह़नीफ़ा रहिमहुल्लाह की क़ब्र का भ्रमण आदतानुसार असंभव प्रतीत होता है, और दूसरी ओर इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह का इस प्रकार से सउद्देश्य अबू ह़नीफ़ा की क़ब्र का भ्रमण भी असंभव मालूम पड़ता है,** और ज्ञात रहे कि क़ब्रों के पास इस प्रकार से जाकर अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए सवाल करना, इसका चलन इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह के गुज़र जाने के बहुत बाद में आरंभ हुआ, और नमाज़ पढ़ने के उद्देश्य से वहाँ जाने का चलन तो और भी कई युग बीतने के बाद चलन में आया। उनका कथन समाप्त हुआ।

छठा कारण: यह असंभव सा प्रतीत होता है कि इमाम शाफ़ई जैसा व्यक्ति इमाम अबू ह़नीफ़ा की क़ब्र को वसीला और माध्यम बनाए, क्योंकि यह बात तय है कि अबू ह़नीफ़ा इसको ह़राम समझते थे, उन्हीं का यह कथन हैः "किसी के लिए भी जो अल्लाह से दुआ कर रहा हो यह उचित नहीं कि वह अल्लाह को छोड़ कर किसी अन्य माध्यम से दुआ करे, और मैं इस बात को नापसंद करता हूँ कि कोई इस प्रकार से दुआ करेः मैं तेरे अर्श (सिंहासन) के इज़्ज़त वाले स्थान का वास्ता दे कर तुझसे सवाल करता हूँ, यह यों कहे किः अमूक के ह़क़ के द्वारा, अथवा तेरे नबियों एवं रसूलों के वास्ते से, या फिर बैतुल ह़राम (काबा) के वास्ते से तुझसे सवाल करता हूँ"।

यह विवेक के बिल्कुल प्रतिकुल है।

उपरोक्त बातों के आधार पर यह प्रमाणित हो गया कि तह़क़ीक़ करने वाले उलेमा (शोधकर्ता) इस क़िस्सा के बातिल एवं मनगढ़त होने पर एकमत हैं, चुनाँचे इमाम इब्नुल क़ैय्यिम रहिमहुल्लाह ने अपने गुरू इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह का कथन अपनी पुस्तक "इग़ासा अल-लह्फ़ान" में नक़ल किया हैः

"इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह से संबद्ध यह वृत्तांत कि वह दुआ करने के उद्देश्य से इमाम अबू ह़नीफ़ा रहिमहुल्लाह की समाधि के पास जाया करते थे, खुला हुआ झूठ है"।

टिप्पणी: इब्ने ह़जर अल-हैसमी अल-मक्की ने इस क़िस्सा को "अल-ख़ैरात अल-ह़िसान फ़ी मनाक़िब अबी ह़नीफ़ा अल-नोमान" नामक अपनी पुस्तक के पच्चीसवें अध्याय में नकल किया है, अतः जागृत एवं सावधान रहें।

लेख की समाप्ति एवं उसका सारांश

उपरोक्त बातों से दुआ के स्वीकार्य होने की प्रबल संभावना रखने वाले शरीअत आधारित समय एवं स्थान इत्यादि का भली-भांति स्पष्टिकरण हो गया, जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो अपनी उम्मत के लए अत्यंत कृपा भाव रखने वाले थे पूर्णरूपेण स्पष्ट कर दिया है, अतः अब जो कोई इस स्थान एवं समय को छोड़ किसी अन्य ढ़ंग से दुआ करने को प्राथमिकता देगा, जैसे क़ब्रों इत्यादि के पास जाकर दुआ करना जिसके बारे में शरीअत में कोई दलील अवतरित नहीं हुई है, तो मानो उसने अल्लाह के दीन में ऐसी चीज़ की वृद्धि कर दी जो उसमें नहीं थी, और अल्लाह के विषय में बिना ज्ञान के बात कही, एवं शरीअत में दुस्साहस से काम लिया, अल्लाह तआला इससे हमारी रक्षा करे। (आमीन)।

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.

(दरूद व सलाम हो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, तथा उनके परिवार वालों एवं सहाबा पर, और अधिकाधिक सलाम व शांति हो उन पर।)

इस लेख को माजिद बिन सुलैमान अल-रस्सी ने 28 शाबान 1434 हिजरी को क़लमबद्ध किया।

संदर्भ स्रोत

1. सुनन नसई अल-कुब्रा, लेखकः अह़मद बिन शुऐब अल-नसई, प्रकाशकः मकतबा रुश्द, रियाज़।
2. अल-मोअजम अल-वसीत़, लेखकः सुलेमान बिन अह़मद अल-त़बरानी, संशोधनः ऐमन सालेह़ शाबान तथा सैयद अह़मद इस्माईल, प्रकाशकः दार अल-ह़दीस़, क़ाहिरा।
3. सुनन अल-दारमी, लेखकः उस़्मान बिन सईद अल-दारमी, संशोधनः डॉक्टर मुस्तफ़ा बिन दीब अल-बुग़ा, प्रकाशकः दार अल-क़लम, दिमश्क़।
4. अल-किताब अल-मुस़न्नफ़ फी अल-अह़ादीस़ व अल-आस़ार, लेखकः अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा, संशोधनः मुह़म्मद अब्दुस्सलाम शाहीन, प्रकाशकः मकतबा दार अल-बाज़, मक्का।
5. अल-मुस़न्नफ़, लेखकः अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अल-स़नआनी, संशोधनः ह़बीबुर्रहमान अल-आज़मी, प्रकाशकः अल-मकतब अल-इस्लामी, बैरूत।
6. शुअब अल-ईमान, लेखकः अबू बकर अल-बैहिक़ी, संशोधनः मुहम्मद अल-सईद बिन बिस्यूनी ज़ग़लूल, प्रथम संस्करण, प्रकाशकः दार अल-कुतुब अल-इल्मीय्या, बैरूत।

7. फ़ज़्लुस्सलात अला अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, लेखकः इस्माईल बिन इस्हाक़ अल-क़ाज़ी, संशोधनः शैख़ मुहम्मद नासिरुद्दीन अल-अलबानी, प्रकाशकः अल-मकतब अल-इस्लामी, बैरूत।
8. इक़्तेज़ा अल-सिरात अल-मुस्तक़ीम लि मुख़ालिफ़ति अस़हाब अल-जहीम, लेखकः शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या, संशोधनः डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल करीम अल-अक़्ल, पंचम संस्करण, प्रकाशकः मकतबा अल-रुश्द, रियाज़।
9. अल-रद्द अला अल-इख़्नाई, लेखकः इब्ने तैमीय्या, संशोधनः अहमद बिन मूनिस अल-अनज़ी, प्रकाशकः दार अल-ख़र्राज़, जेद्दा।
10. इग़ासा अल-लह्फ़ान फ़ी मसायिद अल-शैतान, लेखक- इब्ने क़ैय्यिम अल-जौज़ीया, संशोधनः मुहम्मद उज़ैर शम्स, प्रकाशकः दार आलम अल-फ़वायद, मक्का।
11. अल-अम्र बिल इत्तेबाअ व अल-नह्य अन इब्तिदाअ, लेखकः जलालुद्दीन अल-सुयूती, संशोधनः मशहूर हसन सलमान, द्वितीय संस्करण, प्रकाशकः दार इब्नुल क़ैय्यिम, दम्माम।
12. अल-शिफ़ा बि तारीफ़ हुक़ूक़ अल-मुस्तफ़ा, लेखकः क़ाज़ी एयाज़ बिन मूसा अल-यहसुबी, संशोधनः मुहम्मद अल-अल्लावी, प्रकाशकः दार इब्न रजब, मिस्र।
13. ज़ाद अल-मआद फ़ी हदयि ख़ैर अल-इबाद, लेखकः इब्नुल क़ैय्यिम, संशोधनः अब्दुल क़ादिर अल-अरनऊत एवं शुऐब अल-अरनऊत, प्रकाशकः मुअस्सिसा अल-रिसाला, बैरूत।
14. अल-दाअ व अल-दवा, लेखकः इब्नुल क़ैय्यिम, संशोधनः अली बिन हसन बिन अब्दुल हमीद, नवम संस्करण, प्रकाशकःदार इब्नुल जौज़ी, दम्माम।
15. अल-नुबज़ अल-मुस्तताबह फ़ी अल-दावात अल-मुस्तजाबह, लेखकः सलीम अल-हिलाली, प्रकाशकः दार इब्नुल जौज़ी, दम्माम।
16. किताबुद्दुआ, लेखकः अब्दुल्लाह अल-ख़ुज़ैरी, प्रकाशकः मदार अल-वतन, रियाज़।

विषय सूची

- प्रस्तावना।
- क़ब्रों के पास दुआ के अधिक स्वीकार्य होने का गुमान रखते हुए वहाँ दुआ करने को प्राथमिकता देने के बातिल (मिथ्या) होने का अध्याय।
- क़ब्रों के पास दुआ करने को प्राथमिकता देने वाले मसले के संबंध में इमाम मालिक आदि उलेमा के कथन का उल्लेख।
- सारांश।
- दुआ के मक़बूल व स्वीकार्य होने के शरई माध्यमों को बयान करने वाला अध्याय।
  - पहली क़िस्मः वह सबब जो स्वयं प्रार्थी (दुआ करने वाले) से संबंधित है।

- दूसरी क़िस्मः वो अस्बाब (माध्यम) जिनका संबंध उस इबादत व उपासना से है जिसको प्रार्थी अंजाम देता है, और इनकी संख्या नौ (9) है।
- तीसरी क़िस्मः वो अस्बाब जो प्रार्थी की दशा व हालत से संबंधित हैं, और इनकी संख्या पाँच (5) है।
- चौथी क़िस्मः वो अस्बाब जो प्रार्थना के समय से संबंधित हैं, और इनकी संख्या पाँच (5) है।
- पाँचवी क़िस्मः सामयिक व स्थानिक अस्बाब, और इनकी संख्या दो (2) है।
- छठी क़िस्मः वो अस्बाब जो प्रार्थना के आदाब (शिष्टाचार) से संबंधित हैं, और इनमें मुख्य तेरह (13) हैं।
- प्रार्थना के स्वीकार्य होने के अस्बाब (कारण) से संबंधित इब्नुल क़ैय्यिम रहि़महुल्लाह के लेख से चयनित फ़ायदा
- लेख की समाप्ति एवं उसका सारांश
- विषय सूची
- संदर्भ स्रोत